भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-45

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पानी की खपत

***45. श्री विनसेंट एच. पालाः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूरे देश में दैनिक आधार पर ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पानी की कुल खपत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा ऐसे संयंत्रों को दैनिक आधार पर पानी निकालने और उसकी खपत की अनिवार्य रूप से रिपोर्ट देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विवरण

"ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पानी की खपत" के बारे में लोक सभा में दिनांक 13.12.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 45 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : देश भर में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रतिदिन के आधार पर खपत किए गए कुल जल की निगरानी विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नहीं की जाती है। तथापि, डीवीसी के ताप विद्युत संयंत्रों में दैनिक जल खपत 3.02 लाख किलोलीटर प्रतिदिन है तथा वर्ष 2017-18 के लिए एनटीपीसी के ताप विद्युत संयंत्रों की औसत दैनिक जल खपत 15.37 लाख किलोलीटर प्रतिदिन है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 7 दिसंबर, 2015 को जल खपत के लिए निम्नलिखित नए मानक अधिसूचित किए थे तथा दिनांक 28.06.2018 को अधिसूचना के तहत इनमें संशोधन किया था।

i. दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के 2 वर्षों के भीतर वन्स थ्रू कूलिंग (ओटीसी) वाले सभी संयंत्र कूलिंग टावर (सीटी) की संस्थापना करेंगे तथा 3.5 घनमीटर/मेगावाट घंटा की विशिष्ट जल खपत करेंगे।
ii. सभी मौजूदा सीटी आधारित संयंत्र इस अधिसूचना के 2 वर्षों की अवधि के भीतर अधिकतम 3.5 घनमीटर/मेगावाट घंटा तक विशिष्ट जल खपत में कमी लाएंगे।
iii. 1 जनवरी, 2017 के बाद संस्थापित किए जाने वाले नए संयंत्रों को 3.0 घनमीटर/मेगावाट घंटा की विशिष्ट जल खपत पूरी करनी होगी तथा शून्य जल निकासी प्राप्त करनी होगी।

समुद्री जल का उपयोग करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उपरोक्त जल खपत सीमा लागू नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, ताप विद्युत संयंत्रों में जल की खपत कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

i. टैरिफ नीति, 2016 के अनुसार, नगर निगम/स्थानीय निकायों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की 50 किमी की परिधि में स्थित मौजूदा संयंत्रों सहित ताप विद्युत संयंत्रों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उनकी निकटता, इन निकायों द्वारा अनिवार्यतः उपचारित सीवेज जल के उपयोग तथा इसकी संबद्ध लागत टैरिफ में पास थ्रू के रूप में होगी। इस योजना में 50 किमी की परिधि में आने वाले टीपीपी में गैर-पेयजल उपयोग (कूलिंग प्रयोजन के लिए) हेतु एसटीपी से उपचारित गंदे जल को रिसाइकिल/पुनःउपयोग की संभावना का पता लगाने पर मुख्य रूप से विचार किया गया था। तदनुसार, देशभर में एसटीपी से 50 किमी की दूरी पर स्थित ताप विद्युत केंद्रों का मानचित्रण किया गया है। वर्तमान में देशभर में एसटीपी की 1179 एमएलडी जल क्षमता की पहचान की गई है, जिसमें से वर्तमान में एसटीपी जल का 250 एमएलडी देशभर में विभिन्न टीपीपी में उपयोग किया जाता है।
ii. **ऐश वाटर का सर्कुलेशन सिस्टम-** ऐश पॉण्ड से जल प्राप्त किया जाता है तथा प्रणाली में पुनः उपयोग में लाया जाता है।
iii. **ड्राई फ्लाई ऐश हैंडलिंग सिस्टम एवं हाई कंसन्ट्रेशन स्लरी डिस्पोजल सिस्टम (एचसीएसडी)-** इन ऐश हैंडलिंग तकनीकों से ऐश हैंडलिंग वाटर रिक्वायरमेंट कम होता है जिससे जल की खपत कम होती है।
iv. **जीरो वाटर डिस्चार्ज सिस्टम -** संयंत्र से निकले कुल गंदे जल का उपचार करने तथा उसे पुनः खपतकारी जल प्रणाली में रिसाइकिल करने के लिए जल खपत में कमी आती है।
v. **हायर साइकल ऑफ कंसन्ट्रेशन (सीओसी) पर आपरेटिंग कूलिंग टावर्स -** इससे संयंत्र से निकले गंदे जल में कमी आती है। इस निकले हुए गंदे जल का उपयोग ऐश हैंडलिंग, डस्ट संप्रेशन प्रणाली तथा बागवानी आदि में किया जाता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-51

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

सौभाग्य योजना के अंतर्गत अवॉर्ड

***51. श्रीमती के. मरगथमः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों के लिए 100 करोड़ रुपये के अवॉर्ड की घोषणा की है जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूरा करेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों के अलावा कर्मचारियों को भी सामूहिक रूप से 50 लाख रुपये का अवॉर्ड मिलेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"सौभाग्य योजना के अंतर्गत अवार्ड" के बारे में लोक सभा में दिनांक 13.12.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 51 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (ग) : सरकार ने ऐसे डिस्कॉमों/राज्य विभागों के लिए नकद पुरस्कार शुरू किए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत दिनांक 30 नवंबर, 2018 तक 100% तक घरों का विद्युतीकरण हासिल कर लिया है।

पुरस्कार निम्नलिखित तीन श्रेणियों में हैं:

(i) विशेष श्रेणी के राज्यों, जिनमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्य, सिक्किम**,** जम्मू व कश्मीर और उत्तराखंड शामिल हैं, के डिस्कॉम/विद्युत विभाग।

(ii) विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा ऐसे अन्य राज्यों, जिनमें **5** लाख से अधिक गैर-विद्युतीकृत आवास हैं, के डिस्कॉम/विद्युत विभाग।

(iii) विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा ऐसे अन्य राज्यों, जिनमें 5 लाख से कम गैर-विद्युतीकृत आवास हैं, के डिस्कॉम/विद्युत विभाग।

2. विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

3. ऐसे राज्य/डिस्कॉम, जिन्होंने पहले ही परिपूर्णता हासिल कर ली है, पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं।

4. उपर्युक्त तीनों श्रेणियों की प्रत्येक श्रेणी में दो पुरस्कार हैं। दिनांक 30 नवंबर, 2018 तक 100% आवासों का विद्युतीकरण प्राप्त करने वाले प्रथम डिस्कॉम/विद्युत विभाग को 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। संबंधित राज्य के प्रधान सचिव (ऊर्जा/विद्युत) संबंधित डिस्कॉम/विद्युत विभाग के कर्मचारियों में इस नकद पुरस्कार को वितरित करने के लिए तंत्र विकसित करेंगे। इस राशि में से 20 लाख रुपये सबसे अधिक संख्या में आवासों का विद्युतीकरण करने वाले डिस्कॉम/विद्युत विभाग के प्रभाग के कर्मचारियों को दिए जाएंगे।

द्वितीय पुरस्कार में संबंधित डिस्कॉम/विद्युत विभाग को उनके प्रचालन के क्षेत्र में वितरण अवसंरचना के विकास पर व्यय करने के लिए अनुदान के रूप में 100 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है। राज्य के प्रधान सचिव (ऊर्जा/विद्युत) इस राशि के द्वारा निष्पादन किए जाने वाले कार्य का निर्णय करेंगे।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-472

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि

472. श्री वी. एलुमलाई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विद्युत-उत्पादन की क्षमता में 78000 मेगावाट विद्युतशक्ति और जोड़ने की योजना को अंतिम रूप दिया है और इस योजना को पूरा करने के लिए गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया है चूंकि इन संयंत्रों की कार्यावधि कम होती है और यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के इस हेतु घरेलू गैस की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने के आश्वासन पर भी आधारित है;

(ख) क्या 9000 मेगावाट क्षमता के नए संयंत्रों की योजना बनाई गई थी जिसके अनुसार स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों ने सरकार के इस आश्वासन पर इन संयंत्रों का निर्माण किया है कि जब भी इनका निर्माण पूरा हो जाएगा, उन्हें गैस उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने 11वीं योजना (2007-12) के दौरान 78,700 मेगावाट का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया था जिसमें 6,843 मेगावाट गैस आधारित क्षमता शामिल थी। 6,843 मेगावाट गैस आधारित क्षमता के लक्ष्य की तुलना में, 11वीं योजना के दौरान 5,155.9 मेगावाट क्षमता (केंद्रीय 740 मेगावाट, राज्य 1885.4 मेगावाट तथा निजी 2530.5 मेगावाट) हासिल की गई थी।

नये गवेषण एवं लाइसेंसिंग कार्यक्रम (एनईएलपी) के अंतर्गत प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण और उपयोग संबंधी मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएम) ने विद्युत क्षेत्र को केजी डी**6** गैस का आवंटन किया है। उपयोग संबंधी मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएम) ने दिनांक 08 जनवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि "गैस की उपलब्धता के अध्यधीन, आरआईएल केजी डी6 फील्ड से आवश्यक आवंटन, जैसे ही वे उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार होते हैं, इन परियोजनाओं को किया जाएगा"।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-480

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में विद्युत की बढ़ती आवश्यकता

480. श्री आर. के. भारती मोहनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण सरकारी और निजी कार्यालयों और महत्वपूर्ण संस्थाओं, पुलिस प्रतिष्ठानों आदि में विद्युत की अबाधित आपूर्ति करने के लिए तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (टीएनईबी) और तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएनजीईडीसीओ) को सशक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी और निजी परियोजनाओं जिनमें 24x7 विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है सहित, अपनी बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तमिलनाडु को सुकर बनाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी निधियां आबंटित की गयी हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत का वितरण तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड (टैनजेडको)/राज्य ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाता है। टैनजेडको ने सूचित किया है कि वे सरकारी और निजी कार्यालयों, मुख्य संस्थाओं, पुलिस संस्थापनों आदि सहित सभी उपभोक्ताओं को अबाधित विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

(ग) और (घ) : तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तमिलनाडु की औसत विद्युत मांग लगभग 14,800 मेगावाट से 15,300 मेगावाट और व्यस्ततम मांग 15,440 मेगावाट है। दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 के अनुसार तमिलनाडु की संस्थापित क्षमता परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 18,414 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 11,716 मेगावाट है। भारत सरकार उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतरा-राज्य पारेषण और वितरण नेटवर्क के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण में तमिलनाडु सरकार की सहायता कर रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक सहित 1306.77 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए स्वीकृत की गई हैं। 5411.72 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं आर-एपीडीआरपी सहित आईपीडीएस के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए स्वीकृत की गई हैं। प्रगति के लक्ष्यों के आधार पर आधारित निधि जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु को निम्नानुसार निधि जारी की गई है:

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**कुल**
डीडीयूजीजेवाई	77.07	110.34	1.86	189.27
आईपीडीएस	शून्य	216.05	282.50	498.55

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-495

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

495. श्री शिशिर कुमार अधिकारीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की घोषणा के बावजूद देश में अनेक ग्राम अभी भी बिना विद्युत के हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या असम सरकार ने इसमें लाख से भी अधिक गांवों के विद्युतीकरण के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में अभी भी 16 प्रतिशत परिवारों की विद्युत तक पहुंच नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2006-2012 और 2011-2018 के दौरान गांवों के विद्युतीकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वास्तविक विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार असम सहित संपूर्ण देश में सभी आवासित जनगणना गाँवों का विद्युतीकरण हो गया है।

(ख) : असम सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में 21.73 करोड़ घर हैं। इनमें से दिनांक 30 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार 20.79 करोड़ घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और शेष 0.94 घरों का मार्च, 2019 तक विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है।

(घ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2006-12, 2011-18 के दौरान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और इसके ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के अंतर्गत गहन विद्युतीकरण (आईई) सहित विद्युतीकृत गाँवों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	गैर-विद्युतीकृत गाँवों (यूईवी) का विद्युतीकरण	गाँवों का गहन विद्युतीकरण (आईई)	कुल
2006-12	94,028	2,48,203	3,42,231
2011-18	29,333	3,22,406	3,51,739

(ङ) : भारत सरकार ने सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की है। इस योजना में दिनांक 31 मार्च, 2019 तक शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए अंतिम छोर की कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन देने की परिकल्पना की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-504

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

नेटवर्क निवेश और सुदृढ़ीकरण

504. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से लेकर अब तक ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में राज्य-वार कितने सब-स्टेशनों और वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) योजना बनाई गई है और उन्हें अधिष्ठापित किया गया है;

(ख) वर्ष 2014 से लेकर अब तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अधीन 11 किलो वाट के अंतर्गत राज्य-वार कितनी विद्युत लाइनों की योजना बनाई गई है और उन्हें बिछाया गया है;

(ग) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) परियोजना की शुरूआत से लेकर अब तक इसमें कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है और दो वर्षों से अधिक समय तक कितनी परियोजनाएं लंबित हैं;

(घ) वर्ष 2014 से लेकर अब तक राज्य-वार कितने ट्रांसफार्मर ओवरलोड और खराब हुए हैं;

(ङ) विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) नए विद्युतीकृत ग्रामों में गृह-आधारित अथवा छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशुल्क डिजाइन नवोन्मेष में क्या उपाय किए गए हैं; और

(छ) वर्ष 2014 से लेकर अब तक विद्युत शार्ट सर्किट से कितनी दुर्घटनाएं और जानलेवा घटनाएं हुई हैं और वर्ष 2014 से लेकर अब तक पीड़ितों को भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)' शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत 42676.67 करोड़ रुपये की 4505 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 14 राज्यों को सौभाग्य के अंतर्गत किए जा रहे घरों के विद्युतीकरण की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन हेतु 11,996 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई है। दिनांक 30 नवंबर, 2018 तक की स्थिति के अनुसार सब-स्टेशनों, वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटी), 11 केवी लाइनों की वास्तविक प्रगति **अनुबंध-I** में दी गई है। आज की तारीख में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत किसी भी परियोजना में दो वर्षों से अधिक की देरी नहीं हुई है।

(घ) : डीडीयूजीजेवाई की नोडल एजेंसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2014 से डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ओवरलोडिंग और ट्रांसफार्मरों के खराब होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) : गाँवों को विद्युत की आपूर्ति संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत यूटिलिटियों के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल की है। सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए "सभी के लिए 24x7 विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

(च) : उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए टैरिफ का निर्धारण उचित एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर गाँवों में घरेलू एवं लघु उद्यम सहित उपभोक्ताओं को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बुनियादी उद्देश्य से टैरिफ नीति, 2016 के तहत निर्धारित व्यापक सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए संबंधित विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है। टैरिफ नीति, 2016 में राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी देने का भी प्रावधान है और यह सुझाव भी दिया गया है कि प्रत्यक्ष सब्सिडी उपभोक्ताओं की निर्धनतम श्रेणियों की सहायता करने का बेहतर तरीका है और सब्सिडी को प्रभावी रूप से और केवल जरूरतमंद उपभोक्ताओं को पारदर्शिता के साथ दिया जाना चाहिए।

(छ) : राज्यों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 से बिजली से होने वाली दुर्घटनाएं और पीड़ितों को भुगतान किया गया मुआवजा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 13.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 504 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई: सब-स्टेशनों, वितरण ट्रांसफार्मरों और 11 केवी लाइनों का राज्य-वार ब्यौरा						
				संवर्धन	30.11.2018 की स्थिति के अनुसार	
क्रम सं.	राज्य का नाम	वास्तविक				
		मानदंड	सब-स्टेशन 33/11 केवी		डीटीआर	11 केवी लाइन (फीडर पृथक्करण को छोड़कर)
			नया	संवर्धन		
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	संस्वीकृति स्कोप	5	0	0	59
		उपलब्धि/प्रगति	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	संस्वीकृति स्कोप	132	0	20265	5232.24
		उपलब्धि/प्रगति	132	0	14465	2826.21
3	अरुणाचल प्रदेश	संस्वीकृति स्कोप	0	0	533	975.74
		उपलब्धि/प्रगति	0	0	472	758.3
4	असम	संस्वीकृति स्कोप	23	15	5144	5195.1
		उपलब्धि/प्रगति	0	0	2106	2306.65
5	बिहार	संस्वीकृति स्कोप	288	0	70621	3077
		उपलब्धि/प्रगति	82	0	5804	416.45
6	छत्तीसगढ़	संस्वीकृति स्कोप	80	101	12894	6141.22
		उपलब्धि/प्रगति	61	69	5832	3352.73
7	दादरा व नागर हवेली	संस्वीकृति स्कोप	0	0	14	37.93
		उपलब्धि/प्रगति				0
8	गोवा	संस्वीकृति स्कोप	0	0	0	0
		उपलब्धि/प्रगति	0	0	0	0
9	गुजरात	संस्वीकृति स्कोप	21	0	17466	2309.21
		उपलब्धि/प्रगति	10	0	17239	7612.88
10	हरियाणा	संस्वीकृति स्कोप	14	1	3536	1159.8
		उपलब्धि/प्रगति	0	0	561	671.48
11	हिमाचल प्रदेश	संस्वीकृति स्कोप	16	29	321	454.17
		उपलब्धि/प्रगति	0	0	0	0
12	जम्मू व कश्मीर	संस्वीकृति स्कोप	40	25	2395	2976.13
		उपलब्धि/प्रगति	0	0	69	23.71
13	झारखंड	संस्वीकृति स्कोप	104	131	64645	3044.33
		उपलब्धि/प्रगति	28	0	17578	5239.88

14	कर्नाटक	संस्वीकृति स्कोप	4	3	12360	4394.4
		उपलब्धि/प्रगति	2	3	4949	4419.45
15	केरल	संस्वीकृति स्कोप	2	7	581	1281.94
		उपलब्धि/प्रगति	1	3	542	1084.72
16	मध्य प्रदेश	संस्वीकृति स्कोप	135	335	28093	9100.56
		उपलब्धि/प्रगति	47	130	8985	5521.76
17	महाराष्ट्र	संस्वीकृति स्कोप	216	104	10876	5144.26
		उपलब्धि/प्रगति	114	83	3373	1822.4
18	मणिपुर	संस्वीकृति स्कोप	0	0	315	324.67
		उपलब्धि/प्रगति	0	0	1	1.5
19	मेघालय	संस्वीकृति स्कोप	9	2	1053	1349.53
		उपलब्धि/प्रगति				0
20	मिजोरम	संस्वीकृति स्कोप	0	0	72	181.7
		उपलब्धि/प्रगति	0	0	63	151.6
21	नागालैंड	संस्वीकृति स्कोप	3	0	115	237.89
		उपलब्धि/प्रगति	0	0	84	217.83
22	ओडिशा	संस्वीकृति स्कोप	15	78	7527	7460.34
		उपलब्धि/प्रगति	7	78	1273	1073.08
23	पुडुचेरी	संस्वीकृति स्कोप	0	0	21	48.05
		उपलब्धि/प्रगति				0
24	पंजाब	संस्वीकृति स्कोप	0	0	1721	625.87
		उपलब्धि/प्रगति	0	0	256	752.77
25	राजस्थान	संस्वीकृति स्कोप	208	5	39084	21414.43
		उपलब्धि/प्रगति	96	1	35207	10648.4
26	सिक्किम	संस्वीकृति स्कोप	0	0	143	155.2
		उपलब्धि/प्रगति	0	0	0	0
27	तमिलनाडु	संस्वीकृति स्कोप	108	132	1257	1797.4
		उपलब्धि/प्रगति	38	51	417	531.12
28	तेलंगाना	संस्वीकृति स्कोप	84	0	8482	2320.64
		उपलब्धि/प्रगति	68	0	3540	797.87
29	त्रिपुरा	संस्वीकृति स्कोप	0	0	144	95.82
		उपलब्धि/प्रगति	0	0	20	55.11
30	उत्तर प्रदेश	संस्वीकृति स्कोप	237	612	70227	12557.88
		उपलब्धि/प्रगति	143	373	23725	3669.54
31	उत्तराखंड	संस्वीकृति स्कोप	1	0	3877	2557.15
		उपलब्धि/प्रगति	0	0	262	197.69
32	पश्चिम बंगाल	संस्वीकृति स्कोप	80	112	26364	8126.22
		उपलब्धि/प्रगति	28	107	3576	886.22
	सकल जोड़	**कुल संस्वीकृति स्कोप**	**1825**	**1692**	**410146**	**109835.82**
		कुल उपलब्धि/प्रगति	**857**	**898**	**150399**	**55039.34**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 13.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 504 के भाग (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2014-2018 के दौरान बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन हानि (2014-2015)	जन हानि (2015-2016)	जन हानि (2016-2017)	जन हानि (2017-2018)
आंध्र प्रदेश	248	431	82	उपलब्ध नहीं
अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं
असम	3	5	4	4
बिहार	86	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
छत्तीसगढ़	227	217	124	193
गोवा	9	8	4	9
गुजरात	437	432	624	623
हरियाणा	97	104	63	75
हिमाचल प्रदेश	32	23	28	15
जम्मू-कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
झारखंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	63	45
कर्नाटक	580	477	500	481
केरल	309	287	208	242
मध्य प्रदेश	544	563	241	246
महाराष्ट्र	818	864	1269	1273
मणिपुर	9	6	0	उपलब्ध नहीं
मेघालय	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं
मिजोरम	उपलब्ध नहीं	9	0	उपलब्ध नहीं
नागालैंड	1	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं
ओडिशा	115	128	48	130
पंजाब	4	100	101	96
राजस्थान	231	431	23	90
सिक्किम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5
तमिलनाडु	596	730	520	307
तेलंगाना	92	49	241	96
त्रिपुरा	0	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं
उत्तर प्रदेश	123	312	958	1131
उत्तराखंड	47	32	34	57
पश्चिम बंगाल	115	117	189	196
दिल्ली	19	4	132	108
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	3	4	2
चंडीगढ़	0	1	0	0
दादरा व नागर हवेली	0	उपलब्ध नहीं	1	1
दमन व दीव	0	उपलब्ध नहीं	0	2
लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पुडुचेरी	10	5	1	9
कुल	**4754**	**5338**	**5462**	**5436**

2014-15 से 2016-17 तक पीड़ितों को भुगतान किया गया मुआवजा

वर्ष	भुगतान किया गया मुआवजा
2014-15	29424890/- रुपए (केवल केरल के लिए)
2015-16	18944520/- रुपए (केवल केरल के लिए)
2016-17	19932680/- रुपए (मध्य प्रदेश, गोवा, ओडिशा, उत्तराखंड, केरल)
2017-18	9044649/- रुपए (मध्य प्रदेश, गोवा, ओडिशा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दमन व दीव, केरल)

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-535

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत चोरी

535. श्री अभिषेक सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के प्रत्येक गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन सभी गाँवों को लगातार बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) बिजली चोरी को रोकने और वितरण के दौरान पारेषण में हानि के सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28.04.2018 को संपूर्ण देश में सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

(ख) : गाँवों को विद्युत की आपूर्ति संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत यूटिलिटियों के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल की है। सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए "सभी के लिए 24x7 विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

(ग) : केंद्र सरकार ने समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) की शुरूआत की है। पूर्ववर्ती पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) को आईपीडीएस में समाहित कर दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, वितरण हानियों को कम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए केंद्रीय वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाता है। चोरी की घटनाओं को कम करने के लिए भूमिगत (यूजी) केबिल बिछाने तथा एरियल बंच्ड (एबी) केबिल लगाने के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत भी निधियां स्वीकृत की गई हैं।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) और विद्युत मंत्रालय के बीच उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत भी समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत की चोरी को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाने सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-536

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों का कम उपयोग

536. श्री जी. हरिः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आधे से अधिक गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की क्षमता रुकी हुई है या अप्रयुक्त है जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विद्युत संयंत्रों को गैस आपूर्ति की कमी सरकार द्वारा इन विद्युत संयंत्रों को आश्वासन देने के बावजूद पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित न कराने के कारण है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : घरेलू गैस की उपलब्धता नहीं होने के कारण देश में कुल 14,305 मेगावाट गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता रूकी हुई है। इन गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। नये गवेषण एवं लाइसेंसिंग कार्यक्रम (एनईएलपी) के अंतर्गत प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण और उपयोग संबंधी मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएम) ने विद्युत क्षेत्र को केजी डी6 गैस के आवंटन की सिफारिश की। मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएम) ने दिनांक 08 जनवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि "गैस की उपलब्धता के अध्यधीन आरआईएल केजी डी6 फील्ड से आवश्यक आवंटन, जैसे ही वे उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार होते हैं, इन परियोजनाओं को किया जाएगा"।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 13.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 536 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

स्ट्रैंडेड गैस आधारित क्षमता (अखिल भारत)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य
1	गौतमी सीसीपीपी	पी	जीवीके गौतमी पावर लि.	464	आंध्र प्रदेश
2	जीएमआर - काकीनाडा (तनीरवावी)	पी	जीएमआर एनर्जी	220	आंध्र प्रदेश
3	जेगुरूपडू सीसीपीपी	पी	जीवीके इंडस्ट्रीज लि.	220.5	आंध्र प्रदेश
4	कोनासीमा सीसीपीपी	पी	कोनासीमा पावर	445	आंध्र प्रदेश
5	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी.	पी	लैंको पावर	366	आंध्र प्रदेश
6	वेमागिरी सीसीपीपी	पी	जीएमआर एनर्जी	370	आंध्र प्रदेश
7	श्रीबा इंडस्ट्रीज	पी	पीसीआईएल पावर एंड होल्डिंग्स लिमिटेड	30	आंध्र प्रदेश
8	आरवीके एनर्जी	पी	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश
9	सिल्क रोड सुगर	पी	सिल्क रोड सुगर	35	आंध्र प्रदेश
10	एलवीएस पावर	पी	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश
11	जीएमआर वेमागिरी एक्सपें.	पी	जीएमआर एनर्जी	768	आंध्र प्रदेश
12	कोंडापल्ली एक्सपें. स्टे.-III	पी	लैंको पावर	742	आंध्र प्रदेश
13	समलकोट एक्सपें.	पी	रिलायंस इंफ्रा	2400	आंध्र प्रदेश
14	पंडुरंगा द्वारा सीसीजीटी	पी	पंडुरंगा एनर्जी	116	आंध्र प्रदेश
15	प्रगति सीसीजीटी-III	एस	प्रगति पावर कारपोरेशन लि.	750	दिल्ली
16	रिठाला सीसीपीपी	पी	एनडीपीएल	108	दिल्ली
17	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	एस	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लि.	112	गुजरात
18	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	एस	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लि.	374	गुजरात
19	पीपावाव सीसीपीपी	एस	जीएसपीसी पीपावाव पावर कंपनी लि.	702	गुजरात
20	धुवरन सीसीपीपी	एस	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लि.	376.3	गुजरात
21	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	एस	गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि.	351	गुजरात
22	वाटवा सीसीपीपी*	पी	टोरेंट पावर	100	गुजरात
23	एस्सार सीसीपीपी	पी	एस्सार पावर	300	गुजरात
24	उनोसुजैन सीसीपीपी	पी	टोरेंट पावर	382.5	गुजरात
25	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	पी	टोरेंट पावर	1200	गुजरात
26	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दभोल)	सी	एनटीपीसी	1967	महाराष्ट्र
27	पायोनीर गैस पावर लि. द्वारा सीसीजीटी	पी	पायोनीर गैस पावर लि.	388	महाराष्ट्र
28	आस्था द्वारा गैस इंजन	पी	आस्था पावर	35	तेलंगाना
29	काशीपुर श्रीवंथी स्टे.-I व II	पी	श्रीवंथी एनर्जी	450	उत्तराखंड
30	बेटा इंफ्राटेक सीसीजीटी	पी	बेटा इंफ्राटेक	225	उत्तराखंड
31	गामा इंफ्राप्रोप सीसीजीटी	पी	गामा इंफ्रारोप	225	उत्तराखंड
	कुल			**14305**	

सी: केंद्रीय क्षेत्र; एस: राज्य क्षेत्र; पी: निजी क्षेत्र;

* वाटवा सीसीपीपी 2015-16 में बंद हो गई।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-539

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

जम्मू-कश्मीर हेतु विद्युतीकरण योजनाएं

539. श्री जुगल किशोरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन योजनाओं का विवरण क्या है जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को विद्युत प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण लोगों के लिए एक नई योजना लाने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य को कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटियों के कार्य क्षेत्र में आती है। तथापि, भारत सरकार निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

(i) **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई):**

भारत सरकार ने कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्कीकरण, उप-पारेषण एवं वितरण संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं अभिवृद्धि, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं पर मीटर लगाने और जम्मू व कश्मीर सहित देश भर के गाँवों के विद्युतीकरण सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। स्कीम के अंतर्गत जम्मू व

कश्मीर राज्य के लिए 681.84 करोड़ रुपये की लागत से 22 परियोजनाएं स्वीकृति की गई हैं। इसके अलावा, जम्मू व कश्मीर राज्य को दिनांक 31 दिसंबर, 2018 तक घरों के विद्युतीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन हेतु डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 875 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है।

(ii) **प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य**

भारत सरकार ने मार्च, 2019 के अंत तक अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान कर और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों एवं शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर सार्वभौमिक आवासीय विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से 16,320 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-"सौभाग्य" शुरू की है। स्कीम के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए 133.43 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं।

(घ) : स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए 681.84 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की है।

इसके अलावा, जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के अंतर्गत ग्रामीण गाँवों के विद्युतीकरण के लिए 1151.98 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-541

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

कॉर्पोरेट-सामाजिक दायित्व

541. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कॉर्पोरेट-सामाजिक दायित्व (सीएसआर) में विभिन्न कंपनियों के द्वारा कितनी निधियां व्यय की गईं;

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान व्यय की गई राशि का राज्य-वार, जिला-वार और कार्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त अवधी के दौरान सीएसआर के अंतर्गत महाराष्ट्र को कम निधि जारी की गई जिसके परिणामस्वरूप लोगों को कम लाभ प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय के अधीन विभिन्न कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य-वार, जिला-वार और कार्य-वार खर्च की गई निधियों की मात्रा **अनुबंध** में दी गई है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 13.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 541 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

क्रम सं.	सीपीएसयू/संगठन का नाम	वर्ष-वार व्यय की गई राशि (रुपए लाख में)			व्यय की गई राशि का राज्य-वार, जिला-वार, मद-वार ब्यौरा (भाग-I से IX में संलग्न है)
		2015-16	2016-17	2017-18	
1.	एनटीपीसी	49180.00	27781.00	24154.00	भाग-I
2.	एनएचपीसी	7267.55	7581.87	3854.71	भाग-II
3.	पीजीसीआईएल	11578.00	14727.00	15799.00	भाग-III
4.	आरईसी	12819.77	6980.00	4944.88	भाग-IV
5.	पीएफसी	15793.28	16811.00	11818.02	भाग-V
6.	नीपको	1030.59	607.58	564.43	भाग-VI
7.	टीएचडीसी	1335.00	1534.84	1620.45	भाग-VII
8.	एसजेवीएनएल	2887.00	3716.12	3876.15	भाग-VIII
9.	पोसोको	190.13	161.37	127.54	भाग-IX

एनटीपीसी लि. के सीएसआर क्रियाकलाप — भाग-I

(राशि रु. लाख में)

सीएसआर कार्यकलापल की श्रेणी	2015-16			2016-17			2017-18		
	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि
शिक्षा और कौशल विकास का संवर्धन	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	126	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	147	पूरे भारत में		41
	बिहार	भागलपुर	232	बिहार	भागलपुर	429	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	323
		पटना	29		पटना	20	बिहार	भागलपुर	323
	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	199	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	155		पटना	3
		कोरबा	395		कोरबा	284	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	401
		रायपुर	1	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	401		रायपुर	419
	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	369	गुजरात	भरूच	102	गुजरात	भरूच	68
	गुजरात	भरूच	69		सूरत	10		सूरत	3
		सूरत	17	हरियाणा	फरीदाबाद	25	हरियाणा	फरीदाबाद	20
	हरियाणा	फरीदाबाद	19	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	6	हिमाचल प्रदेश	सुंदरनगर	11
	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	8	झारखंड	हजारीबाग	15	झारखंड	हजारीबाग	8
	झारखंड	हजारीबाग	8	केरल	अलाप्पुझा	183	केरल	अलपुझा	258
	केरल	अलाप्पुझा	201	मध्य	अशोक नगर	1200	मध्य प्रदेश	अशोक नगर	150
	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	453	प्रदेश	सिंगरौली	499	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	128
	महाराष्ट्र	मुंबई	15	महाराष्ट्र	मुंबई	15	महाराष्ट्र	मुंबई	38
	ओडिशा	अंगुल	706	राष्ट्रीय	पूरे भारत में	1	नई दिल्ली	नई दिल्ली	486
		भुवनेश्वर	10	ओडिशा	अंगुल	797	ओडिशा	अंगुल	866
	राजस्थान	बरन	112		भुवनेश्वर	305		भुवनेश्वर	383
	तेलंगाना	हैदराबाद	31	राजस्थान	बरन	200	राजस्थान	बरन	202
		पेद्दापल्ली	337		जयपुर	20		जयपुर	20
	उत्तर प्रदेश	लोअर डिबांग	32	तेलंगाना	हैदराबाद	69	तेलंगाना	हैदराबाद	62
					पेद्दापल्ली	390		करीमनगर	387
		औरैया	151	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	33	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	37
		गौतमबुद्ध नगर	340		औरैया	113		औरैया	116
		लखनऊ	12		गौतमबुद्ध नगर	423		गौतमबुद्ध नगर	363
		नोएडा	1		लखनऊ	10		लखनऊ	29
		रायबरेली	37		मथुरा	39		मथुरा	53
		सोनभद्र	459		रायबरेली	176		रायबरेली	136
	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	294		सोनभद्र	492		सोनभद्र	1085
				उत्तराखंड	नैनीताल	82		वाराणसी	25
				पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	214	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	185
								पुरुलिया	1
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	89	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	260	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	67
	बिहार	भागलपुर	209	असम	कोकराझार	36	बिहार	भागलपुर	5
	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	40	बिहार	भागलपुर	248		पटना	34
		कोरबा	497		पटना	3	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	9
	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	138	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	46		रायपुर	43
	गुजरात	भरूच	69		कोरबा	556	गुजरात	भरूच	1
		सूरत	2	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	211		सूरत	4
	हरियाणा	फरीदाबाद	4	गुजरात	भरूच	8	हरियाणा	फरीदाबाद	18
		नुह	14		सूरत	3	केरल	अलपुझा	43
	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	57	हरियाणा	फरीदाबाद	9	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	81
	केरल	अलाप्पुझा	47		नुह	1	महाराष्ट्र	नागपुर	900
	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	1132	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	67	नई दिल्ली	नई दिल्ली	23
	महाराष्ट्र	नागपुर	26	केरल	अलाप्पुझा	50	ओडिशा	अंगुल	56
	ओडिशा	अंगुल	347	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	1402		भुवनेश्वर	4
		भुवनेश्वर	152	महाराष्ट्र	मुंबई	20		सुंदरगढ़	40
	राजस्थान	बरन	17		नागपुर	7	राजस्थान	बरन	6
	तेलंगाना	हैदराबाद	21	ओडिशा	अंगुल	645	तेलंगाना	करीमनगर	17

		पेद्दापल्ली	189		भुवनेश्वर	5		अम्बेडकर नगर	18
		अम्बेडकर नगर	95		सुंदरगढ़	35		औरैया	3
		औरैया	14	राजस्थान	बरन	28		गौतमबुद्ध नगर	10
		गौतमबुद्ध नगर	116	तेलंगाना	हैदराबाद	15		लखनऊ	4
		लखनऊ	5		पेद्दापल्ली	248		रायबरेली	7
		रायबरेली	174		अम्बेडकर नगर	114		सोनभद्र	66
	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र			औरैया	12	उत्तर प्रदेश		
					गौतमबुद्ध नगर	95			
					लखनऊ	7			
			170	उत्तर प्रदेश	नोएडा	11		वाराणसी	901
					रायबरेली	185			
					सोनभद्र	215			
	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	262	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	316	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	14
	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	802	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	52	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	396
	असम	कोकराझार	120	असम	कोकराझार	138	असम	कोकराझार	25
	बिहार	भागलपुर	2953	बिहार	भागलपुर	465		औरंगाबाद	116
		पटना	7286		पटना	1159	बिहार	पटना	109
	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	124		बिलासपुर	237		भागलपुर	147
		कोरबा	949	छत्तीसगढ़	कोरबा	240	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	183
		रायगढ़	336		रायगढ़	12		रायपुर	196
		रायपुर	596		रायपुर	23	गुजरात	सूरत	57
	गुजरात	भरूच	263	गुजरात	भरूच	14		भरूच	13
		सूरत	260		सूरत	34	हरियाणा	फरीदाबाद	40
	हरियाणा	फरीदाबाद	38	हरियाणा	फरीदाबाद	27		झज्जर	9
	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	98	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	44	हिमाचल प्रदेश	सुंदरनगर	11
	झारखंड	चतरा	794		बोकारो	25	झारखंड	चतरा	4
		हजारीबाग	651	झारखंड	चतरा	122	केरल	अलपुझा	94
	केरल	अलाप्पुझा	13		हजारीबाग	77	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	208
	मध्य प्रदेश	खरगोन	1251	मध्य	खरगोन	13		खरगोन	42
पीने के पानी और स्वच्छता		नरसिंहपुर	217	प्रदेश	नरसिंहपुर	38	नई दिल्ली	नई दिल्ली	13
		सिंगरौली	1332		सिंगरौली	552	ओडिशा	अंगुल	283
	राष्ट्रीय	पूरे भारत में	578	राष्ट्रीय	पूरे भारत में	453		दुर्गापुर	20
	ओडिशा	अंगुल	2108	ओडिशा	अंगुल	300		राउरकेला	19
		भुवनेश्वर	806		सुंदरगढ़	42		सुंदरगढ़	14
		सुंदरगढ़	969	राजस्थान	बरन	117		भुवनेश्वर	5
	राजस्थान	बरन	933	तेलंगाना	पेद्दापल्ली	154	राजस्थान	बरन	13
	तेलंगाना	हैदराबाद	67	उत्तर	औरैया	10	तेलंगाना	करीमनगर	353
		पेद्दापल्ली	1167	प्रदेश	गौतमबुद्ध नगर	2		हैदराबाद	25
	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	10		नोएडा	16	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	19
		औरैया	68		सोनभद्र	85		औरैया	13
		गौतमबुद्ध नगर	33					गौतमबुद्ध नगर	105
		लखनऊ	8					फूलपुर	4
		नोएडा	420		वाराणसी	591		रायबरेली	61
		रायबरेली	9					सोनभद्र	184
		सोनभद्र	265				पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	235
	उत्तराखंड	चमोली	14					बर्धवान	19
	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	4102	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	498		मुर्शिदाबाद	8
	बिहार	भागलपुर	3	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	15	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	14
	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	14	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	9	गुजरात	सूरत	1
	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	21	गुजरात	भरूच	1	हरियाणा	फरीदाबाद	22
	गुजरात	भरूच	1		सूरत	3	केरल	अलपुझा	4
		सूरत	1	हरियाणा	फरीदाबाद	19	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	4
	हरियाणा	फरीदाबाद	13	केरल	अलाप्पुझा	4	नई दिल्ली	नई दिल्ली	11
	केरल	अलाप्पुझा	2	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	8	ओडिशा	अंगुल	2
महिला सशक्तिकरण	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	4	ओडिशा	अंगुल	2		भुवनेश्वर	16
	ओडिशा	अंगुल	9	राजस्थान	बरन	4	राजस्थान	बरन	2
	राजस्थान	बरन	3	तेलंगाना	हैदराबाद	1	तेलंगाना	हैदराबाद	1
	तेलंगाना	पेद्दापल्ली	4		पेद्दापल्ली	7		करीमनगर	6
	उत्तर प्रदेश	गौतमबुद्ध नगर	2		गौतमबुद्ध नगर	6		अम्बेडकर नगर	1
		रायबरेली	2	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	2	उत्तर प्रदेश	गौतमबुद्ध नगर	8
		सोनभद्र	10		सोनभद्र	2		रायबरेली	6
	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	9	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	13		सोनभद्र	1
पर्यावरण संरक्षण	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	982	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	466	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	1315
	असम	कोकराझार	8	असम	कोकराझार	50	असम	कोकराझार	64

	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	336	बिहार	भागलपुर	43	बिहार	भागलपुर	93
		कोरबा	546	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	8	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	843
	गुजरात	सूरत	42		कोरबा	478		रायपुर	1894
	हरियाणा	फरीदाबाद	13		रायपुर	829	गुजरात	भरूच	12
	केरल	अलाप्पुझा	78	गुजरात	भरूच	61		सूरत	20
	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	110	हरियाणा	फरीदाबाद	3	हरियाणा	फरीदाबाद	11
	महाराष्ट्र	नागपुर	8	कर्नाटक	बीजापुर	215	कर्नाटक	विजयपुर	29
		सोलापुर	3	केरल	अलाप्पुझा	84	केरल	अलपुझा	2
	ओडिशा	अंगुल	148	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	34	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	190
	राजस्थान	बरन	3		सिंगरौली	153		सिंगरौली	41
	तेलंगाना	पेद्दापल्ली	20	महाराष्ट्र	नागपुर	95	महाराष्ट्र	नागपुर	8
	उत्तर प्रदेश	गौतमबुद्ध नगर	102		सोलापुर	82		सोलापुर	258
		सोनभद्र	28	राष्ट्रीय	पूरे भारत में	50	ओडिशा	अंगुल	185
		चमोली	95	ओडिशा	अंगुल	200	राजस्थान	बरन	131
				राजस्थान	बरन	16	तेलंगाना	हैदराबाद	106
				तेलंगाना	हैदराबाद	278		करीमनगर	135
					पेद्दापल्ली	120	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	61
				उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	160		औरैया	59
					औरैया	57		गौतमबुद्ध नगर	118
					गौतमबुद्ध नगर	246		रायबरेली	5
					रायबरेली	7		सोनभद्र	104
					सोनभद्र	38	उत्तराखंड	देहरादून	89
				उत्तराखंड	देहरादून	184			
खेल, कला, संस्कृति और विरासत	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	14	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	15	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	6
	बिहार	भागलपुर	8	बिहार	भागलपुर	11			
	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	70		पटना	3			
		कोरबा	6	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	40			
		रायपुर	14		कोरबा	36			
	गुजरात	भरूच	5		रायपुर	1			
		सूरत	2	गुजरात	भरूच	27			
	विरासत	धार (एमपी),	250		सूरत	1	बिहार	भागलपुर	3
		भागलपुर (बिहार)							
		कटक (ओडिशा)							
	केरल	अलाप्पुझा	2	हरियाणा	फरीदाबाद	1	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	48
	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	9	केरल	अलाप्पुझा	2		रायपुर	33
	महाराष्ट्र	मुंबई	4	मध्य प्रदेश	इंदौर	25	गुजरात	भरूच	5
	राष्ट्रीय	पूरे भारत में	3		सिंगरौली	29	हरियाणा	फरीदाबाद	1
	ओडिशा	अंगुल	58	राष्ट्रीय	पूरे भारत में	16	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	16
	राजस्थान	बरन	2	ओडिशा	अंगुल	30	केरल	अलपुझा	3
	तेलंगाना	पेद्दापल्ली	33		भुवनेश्वर	2	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	6
	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	1	राजस्थान	बरन	3	नई दिल्ली	नई दिल्ली	2
		औरैया	1	तेलंगाना	हैदराबाद	2	ओडिशा	अंगुल	35
		गौतमबुद्ध नगर	4		पेद्दापल्ली	10		भुवनेश्वर	3
		रायबरेली	2	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	1	राजस्थान	बरन	3
		सोनभद्र	6		गौतमबुद्ध नगर	3	तेलंगाना	करीमनगर	17
	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	13		लखनऊ	2	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	6
					सोनभद्र	6		गौतमबुद्ध नगर	14
				पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	8		रायबरेली	1
								सोनभद्र	6
							पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	3
ग्रामीण विकास	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	733	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	307	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	21
	असम	गुवाहाटी	4	असम	गुवाहाटी	4	बिहार	भागलपुर	79
		कोकराझार	164		कोकराझार	284		पटना	50
	बिहार	भागलपुर	104	बिहार	भागलपुर	93	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	43
		पटना	49		पटना	38		रायपुर	6
	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	16	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	136	गुजरात	भरूच	4
		कोरबा	198		कोरबा	133		सूरत	1
		रायपुर	9		रायपुर	18		वडोदरा	1250
	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	70	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	92	हरियाणा	फरीदाबाद	3

	गुजरात	भरूच	66	गुजरात	भरूच	56	केरल	अलाप्पुझा	16
		सूरत	57		सूरत	64	मध्य प्रदेश	इंदौर	3
	हरियाणा	फरीदाबाद	19	हरियाणा	फरीदाबाद	22		सिंगरौली	65
	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	2	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	3	नई दिल्ली	नई दिल्ली	35
	झारखंड	चतरा	1	कर्नाटक	बीजापुर	26	ओडिशा	अंगुल	22
	कर्नाटक	बीजापुर	50	केरल	अलाप्पुझा	16		भुवनेश्वर	33
	केरल	अलाप्पुझा	63	मध्य प्रदेश	इंदौर	2	राजस्थान	बरन	5
	मध्य प्रदेश	छतरपुर	57		सिंगरौली	151	तेलंगाना	हैदराबाद	6
		इंदौर	2	महाराष्ट्र	मुंबई	52		हैदराबाद	7
		खरगोन	5		सोलापुर	140		करीमनगर	59
		नरसिंहपुर	2	राष्ट्रीय	पूरे भारत में	216	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	16
		सिंगरौली	117	ओडिशा	अंगुल	150		औरैया	56
	महाराष्ट्र	मुंबई	20		भुवनेश्वर	8		गौतमबुद्ध नगर	20
		नागपुर	11	राजस्थान	बरन	51		लखनऊ	30
		सोलापुर	113	तमिलनाडु	कांचीपुरम	7		रायबरेली	186
	राष्ट्रीय	पूरे भारत में	1201	तेलंगाना	हैदराबाद	65		सोनभद्र	53
	ओडिशा	अंगुल	213		पेद्दापल्ली	199		वाराणसी	525
		भुवनेश्वर	20	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	32	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	69
	राजस्थान	बरन	40		औरैया	11			
	तेलंगाना	हैदराबाद	80		गौतमबुद्ध नगर	118			
		पेद्दापल्ली	128		लखनऊ	78			
	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	35		रायबरेली	7			
		औरैया	1		सोनभद्र	378			
		गौतमबुद्ध नगर	129	उत्तराखंड	देहरादून	6			
		लखनऊ	36	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	60			
		रायबरेली	128						
		सोनभद्र	94						
	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	238						
बुनियादी ढांचे का विकास	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	9	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	2	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	334
		प्रकाशम	9		प्रकाशम	2	बिहार	भागलपुर	292
		विशाखापट्टनम	12		विशाखापट्टनम	128	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	362
	बिहार	भागलपुर	592	बिहार	भागलपुर	486		रायपुर	190
		पटना	2		पटना	7	गुजरात	भरूच	25
	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	467	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	409		सूरत	15
		कोरबा	108		कोरबा	128	हरियाणा	फरीदाबाद	17
	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	3	गुजरात	भरूच	34	केरल	अलपुझा	13
	गुजरात	भरूच	58		सूरत	39	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	118
		सूरत	106	हरियाणा	फरीदाबाद	18	ओडिशा	अंगुल	272
	हरियाणा	फरीदाबाद	33	झारखंड	चतरा	25		भुवनेश्वर	27
	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	79	केरल	अलाप्पुझा	56	राजस्थान	बरन	5
	केरल	अलाप्पुझा	93	मध्य प्रदेश	छतरपुर	8	तेलंगाना	करीमनगर	155
	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	276		देवास	19	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	165
	महाराष्ट्र	मुंबई	5		सिंगरौली	119		औरैया	26
	ओडिशा	अंगुल	207	महाराष्ट्र	मुंबई	4		भदोही	19
	राजस्थान	बरन	73	राष्ट्रीय	पूरे भारत में	7		गौतमबुद्ध नगर	330
	तेलंगाना	हैदराबाद	6	ओडिशा	अंगुल	184		मच्छली शाहर	28
		पेद्दापल्ली	424		भुवनेश्वर	8		मथुरा	25
	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	2	राजस्थान	बरन	21		पीलीभीत और भदोही	21
		औरैया	36	तेलंगाना	हैदराबाद	108		रायबरेली	39
		गौतमबुद्ध नगर	393		पेद्दापल्ली	215		श्रावस्ती	2
		लखनऊ	61	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	3		सोनभद्र	128
		रायबरेली	74		औरैया	2	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	454
		सोनभद्र	178		गौतमबुद्ध नगर	217			
					लखनऊ	164			
	पश्चिम बंगाल		284		रायबरेली	49			
					सोनभद्र	107			
				पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	609			

एनएचपीसी लि. के सीएसआर कार्यकलाप

(राशि लाख में)

सीएसआर क्रियाकलापों की श्रेणी	2015-16			2016-17			2017-18		
	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि
शिक्षा और कौशल विकास का संवर्धन	जम्मू एवं कश्मीर	रियासी	36.56	जम्मू एवं कश्मीर	रियासी	17.93	जम्मू एवं कश्मीर	रियासी	4.97
		कठुआ	4.48		कठुआ	4.78		कठुआ	6.14
		किश्तवाड़	1.64		किश्तवाड़	1.78		किश्तवाड़	9.14
		बांदीपुरा	3.71		बारामूला	30		बांदीपुरा	10.37
		कारगिल	2.12		कारगिल	9.37		कारगिल	9.88
		लेह	0.8		लेह	12.88		लेह	13.77
	हिमाचल प्रदेश	चंबा	15.75	हिमाचल प्रदेश	चंबा	19.14	हिमाचल प्रदेश	चंबा	21.95
		मंडी	11.64		मंडी	17.91		मंडी	7.47
		कुल्लू	6.16		कुल्लू	6.42		कुल्लू	12.82
					बिलासपुर	3750			
	उत्तराखण्ड	तेहरी गढ़वाल	15.44	उत्तराखण्ड	देहरादून	5	उत्तराखण्ड	पिथौरागढ़	1.84
					पिथोरागढ़	2		चंपावत	4.77
					चम्पावत	3.7			
	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	17.6	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	1.73	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	14.11
					दार्जिलिंग	521.35		दार्जिलिंग	40.15
	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	1.98	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	4.34	सिक्किम	साउथ सिक्किम	4.94
		पूर्वी सिक्किम	28.49		पूर्वी सिक्किम	19.97		ईस्ट सिक्किम	13.52
	मणिपुर	छुरछंदपुर		मणिपुर	छुरछंदपुर	0.75	मणिपुर	छुरछंदपुर	2.18
	असम	धमाजी लकमपुर	277.3	असम	धैमाजी	261	असम	धमाजी लकमपुर	189.6
		सोनितपुर			लकीमपुर सोनितपुर			सोनितपुर	
	अरूणाचल प्रदेश	लोअर डिबांग घाटी	20.38	अरूणाचल प्रदेश	पापम पारे	251.8	अरूणाचल प्रदेश	पापम पारे	204.05
					लोअर डिबांग	1.87		लोअर डिबांग	18.72
		तवांग	24.99		तवांग	10.3		घाटी	
				हरियाणा	फरीदाबाद	60.37			
				बिहार	मुजफ्फरपुर	2			
				केरल	एर्नाकुलम	20			
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पीने के पानी और स्वच्छता	जम्मू एवं कश्मीर	रियासी	252.71	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	12.94	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	4.79
					रियासी	9.68			
		कठुआ	4.44		कठुआ	9.05		कठुआ	9.97
		किश्तवाड़	104.97		किश्तवाड़	22.58		किश्तवाड़	30.94
		बारामूला	291.67		बारामूला	2.46		बारामूला	11.25
		बांदीपुरा	0.96		बांदीपुरा	9.73		बांदीपुरा	40.97
		कारगिल	20.83		कारगिल	7.36		कारगिल	7.55
		लेह	28.59		लेह	27.68		लेह	2.89
	हिमाचल प्रदेश	चंबा	6.55	हिमाचल प्रदेश	चंबा	18.22	हिमाचल प्रदेश	चंबा	30.72
		मंडी	5.78		मंडी			मंडी	0.72
					कुल्लू	1.58		कुल्लू	1.96
	उत्तराखण्ड	तेहरी गढ़वाल	2.41	उत्तराखण्ड	तेहरी गढ़वाल	0.41	उत्तराखण्ड	पिथोरागढ़	8.15
		पिथोरागढ़	387.99		पिथोरागढ़	13.68		चम्पावत	4.37
		चम्पावत	283.99		चम्पावत	13.94			
	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	488.83	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	6.65	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	20.45
		दार्जिलिंग	162.59		दार्जिलिंग	50.06		दार्जिलिंग	31.01
	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	7.97	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	8.53	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	48.05
		पूर्वी सिक्किम	7.47		पूर्वी सिक्किम	32.57		पूर्वी सिक्किम	48.3
	मणिपुर	छुरछंदपुर	35.39	मणिपुर	छुरछंदपुर	36.93	मणिपुर	छुरछंदपुर	14.95

	असम	धेमाजी लकीमपुर सोनितपुर	4343	असम	धेमाजी लकीमपुर सोनितपुर	1200.04	असम	धेमाजी लकीमपुर सोनितपुर	1688.5
	अरूणाचल प्रदेश	लोअर डिबांग घाटी	5.4	अरूणाचल प्रदेश	पापम पारे	38.38	अरूणाचल प्रदेश	पापम पारे	9
					लोअर डिबांग घाटी	49.86		लोअर डिबांग घाटी	13.75
		तवांग	11.07		तवांग	34.64			
				हरियाणा	फरीदाबाद (एचआर)	59.7	हरियाणा	फरीदाबाद (एचआर)	126.3
				उत्तरप्रदेश	कानपुर	12.5	उत्तरप्रदेश	कानपुर	12.5
					बस्ती	76.8			
				केरल	एर्नाकुलम	17.2			
				ओडिशा	भुवनेश्वर	3	ओडिशा	भुवनेश्वर	3
				महाराष्ट्र	अहमदनगर	7.5			
महिला सशक्तिकरण तथा वरिष्ठ नागरिक	जम्मू एवं कश्मीर	कारगिल	1.49	जम्मू एवं कश्मीर	रियासी	4.73	सिक्किम	साउथ सिक्किम	0.97
					कारगिल	0.37			
				हिमाचल प्रदेश	चंबा	2.46			
				हरियाणा	पलवल	10.81			
पर्यावरण संरक्षण	हिमाचल प्रदेश	मंडी	2.96	जम्मू एवं कश्मीर	बांदीपोरा	14.18	जम्मू एवं कश्मीर	बांदीपुरा	111.31
				हिमाचल प्रदेश	चंबा	1.34	हिमाचल प्रदेश	मंडी	0.91
	उत्तराखण्ड	तेहरी गढ़वाल	0.03	उत्तराखण्ड	टिहरी गढ़वाल	2.82	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	4.73
		पिथोरागढ़	0.12		पिथोरागढ़	0.66			
	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	4.43						
	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम	0.98	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम	1.42	असम	धेमाजी लकीमपुर सोनितपुर	34.35
	असम	धेमाजी लकीमपुर सोनितपुर	38.48	असम	धेमाजी लकीमपुर सोनितपुर	39.87			
	हरियाणा	फरीदाबाद (एचआर)	10						
खेल, कला, संस्कृति, विरासत	जम्मू एवं कश्मीर	रियासी	1.59	जम्मू एवं कश्मीर	रियासी	4.69	हिमाचल प्रदेश	चंबा	0.55
		कारगिल	0.3					मंडी	4.74
	हिमाचल प्रदेश	चंबा	7.06	हिमाचल प्रदेश	चंबा	3.18			
					मंडी	2.3			
					लाहौल और स्पीति	18.36			
	उत्तराखण्ड	तेहरी गढ़वाल	0.1	उत्तराखण्ड	पिथोरागढ़	0.4	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम	2.81
		पिथोरागढ़	0.06						
		चम्पावत	0.43						
	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	2.76	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	0.22			
				सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	1.99			
					पूर्वी सिक्किम	11.5			
				मणिपुर	छुरछंदपुर	0.49			
	असम	धेमाजी लकीमपुर सोनितपुर	21.05	असम	धेमाजी लकीमपुर सोनितपुर	67.28	असम	धेमाजी लकीमपुर सोनितपुर	43.41
	अरूणाचल प्रदेश	तवांग	0.84	अरूणाचल प्रदेश	लोअर डिबांग घाटी	7.2	अरूणाचल प्रदेश	लोअर डिबांग	1.63
					तवांग	4.34			
				हरियाणा	फरीदाबाद (एचआर)	4.78	हरियाणा	फरीदाबाद (एचआर)	15.57
				उत्तर प्रदेश	लखनऊ	5	गुजरात	गांधीनगर	500
ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा विकास	जम्मू एवं कश्मीर	रियासी	10.63	जम्मू एवं कश्मीर	रियासी	23.05	जम्मू एवं कश्मीर	रियासी	17.15
		कठुआ	3.32		कठुआ	3.32		कठुआ	6.45
		बारामूला	18.06		बारामूला	0.67		बारामूला	16.58
		बांदीपुरा	9.99		बांदीपुरा	65		बांदीपुरा	2.06
		कारगिल	19.68		कारगिल	4.98		कारगिल	3.06
		लेह	18.99		लेह	104.06		लेह	31.48
	हिमाचल प्रदेश	चंबा	8.44	हिमाचल प्रदेश	चंबा	4.29	हिमाचल प्रदेश	चंबा	16.68

		मंडी	5.72		मंडी	12.54		मंडी	8.88
					कुल्लू	4.34		कुल्लू	5
	उत्तराखण्ड	पिथोरागढ़	1.46	उत्तराखण्ड	तेहरी गढ़वाल	4.17	उत्तराखण्ड	पिथोरागढ़	2.82
					पिथोरागढ़	11.72			
	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	122.92	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	35.76	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	96.05
				सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	4.36	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	5.28
					पूर्वी सिक्किम	45.24		पूर्वी सिक्किम	21.18
	मणिपुर	चुराचांदपुर	4.92	मणिपुर	छुरछंदपुर	9.78			
	असम	धेमाजी लकीमपुर सोनितपुर	28.05	असम	धेमाजी लकीमपुर सोनितपुर	54.44	असम	धेमाजी लकीमपुर सोनितपुर	55.09
	अरूणाचल प्रदेश	लोअर डिबांग घाटी	1.02	अरूणाचल प्रदेश	पापम पारे	30	अरूणाचल प्रदेश	पापम पारे	15
					लोअर डिबांग घाटी	4.44	हरियाणा	फरीदाबाद (एचआर)	1.7
					तवांग	6.33			
				उत्तरप्रदेश	संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर (यूपी)	11.94	उत्तर प्रदेश	बस्ती	19.2
					गोरखपुर	40.9		श्रावस्ती	29.23
					कानपुर	36.59			
				ओडिशा	भुवनेश्वर	20	बिहार	आरा (भोजपुर)	0.36
				महाराष्ट्र	अहमदनगर	13.5	ओडिशा	भुवनेश्वर	20

पीजीसीआई लि. के सीएसआर कार्यकलाप

(राशि लाख रुपए में)

सीएसआर क्रियाकलापों की श्रेणी	2015-16			2016-17			2017-18		
	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि
शिक्षा और कौशल विकास का संवर्धन	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	62.32	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न हिस्से	439.89	आंध्र प्रदेश	वेमागिरी	12.28
	असम	नागांव जिला	12.54	महाराष्ट्र, असम, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगना, उत्तर प्रदेश	औरंगाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, मैसूर, भुवनेश्वर, हैदरबाड, लखनऊ	169.15	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	15.28
		संपूर्ण असम	32.51	तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगना।, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार एवं मध्य प्रदेश	त्रिशूर, कोरबा, आगरा, सिलीगुड़ी, विजयवाड़ा, वर्धा, किशनपुर, जमशेदपुर और बीना	159.76		देश के विभिन्न हिस्से	38.47
		सोनितपुर	7.03	नई दिल्ली	नई दिल्ली	196.92	असम	कोकराझार	10.9
		जिरीबाम	0.83	हरियाणा	गुडगाँव	3.62		कामरूप	38.4
		कछार	7.63	हरियाणा	गुडगाँव	4.87		कामरूप	7.38
		सोनितपुर	2.92	हरियाणा	गुडगाँव	3.74		कामरूप	4.36
		कामरूप	5.55	असम, मणिपुर	असम, मणिपुर	103.64	असम और मणिपुर	विभिन्न जिलों	47.83
		नगांव	2.67	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न हिस्से	18.66	असम, मणिपुर व छत्तीसगढ़	विभिन्न जिलों	178.78
		बी. चरियाली	2.16	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न हिस्से	155.31	असम, मणिपुर व पश्चिम बंगाल	नागांव, कोकराझार, जोरहाट, कचर	252.03
	असम व मणिपुर	असम व मणिपुर	169.14	बिहार	पश्चिम सिंगभूम	90.33	बिहार	समस्तीपुर	20.49
	बिहार	पटना	54.32	बिहार	सरन	0.85	बिहार	सरन	10.98
	बिहार	पटना	25.4	बिहार	दरभंगा	0.56	बिहार	मधुबनी	49.19
	बिहार व झारखण्ड	जमशेदपुर	101.55	बिहार	पटना	0.51	छत्तीसगढ़	रायपुर	9.55
	छत्तीसगढ़	रायपुर	332.4	पश्चिम बंगाल	कोकराझार, नागांव, मारियानी, इम्फाल, श्रीकोना, जलपाईगुड़ी, मालदा और दक्षिण 24 परगना	294.13	छत्तीसगढ़	राजनंद गांव	97.66
	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	35.56	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	8.64	गुजरात	तापी	12.31
	गुजरात	गांधीनगर	1.96	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	22.71	हरियाणा	गुडगाँव	4.72
	गुजरात	दमोह	0.81	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	7.92			10.54
	हरियाणा	गुडगाँव	2.4	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	9.48			1.31
	मध्य प्रदेश व गुजरात	एमपी। और गुजरात	44.38	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना	0.52			20.96
	महाराष्ट्र	लोअर डिबांग घाटी	14.63	ओडिशा	संबलपुर	10.05		फरीदाबाद	4.54
	ओडिशा	बोलंगीर	2.04	ओडिशा	तालचेर	19.17	जम्मू एवं कश्मीर	जंद्राह	31.17
	राजस्थान	कोटपुतली	4.81	ओडिशा	विभिन्न जिलों	6.28		सतवारी	0.68
	तमिलनाडु	धर्मपुरी	20.06	अरूणाचल प्रदेश	लोअर डिबांग घाटी	2.72		श्रीनगर	1.2
	तमिलनाडु	श्रीपेरुमबुदुर	2.34	असम	कोकराझार	12.13		लद्दाख	8.32
	तमिलनाडु व कर्नाटक	विभिन्न जिलों	13.19		संपूर्ण असम	18.61		जम्मू	2.9
	त्रिपुरा	उनाकोटी	9.84		नगांव	4.2		श्रीनगर	89.3
	उत्तर प्रदेश	कानपुर	8.95		कामरूप	6.26	झारखण्ड	हजारीबाग	25.36
		बस्सी	1.49		दीमा हसाओ	0.68	झारखण्ड	गरवाह	0.16
		लखनऊ	10.16		सोनितपुर	11.4	कर्नाटक	तुम्कर, कर्नाटक	12.76
		ग्रेटर नोएडा	2.54	राजस्थान	जयपुर	1.18	कर्नाटक	तुम्कर, कर्नाटक	12.76
	उत्तराखण्ड	कोटेश्वर	6.8	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	10.49	मध्य प्रदेश	भोपाल	19.48

	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न हिस्से	57.74		जम्मू	10.52		खंडवा	2.67
	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न हिस्से	507.86	हिमाचल प्रदेश	लाहौल स्पीति	17.24		दमोह	9.64
	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 पीएनजी	6.07	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	139.72		मध्य प्रदेश	103.73
	पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु	बर्धमान, जलपाईगुड़ी, मालदा, नागांव, कोकराझार, इम्फाल, जोरहाट, नागपुर और कांचीपुरम	148.35	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिला	1.22		मध्य प्रदेश	13.81
				आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	40.23		सतना	13.06
					वेमागिरी	6.04		सतना	14.86
					वेमागिरी	32.35	महाराष्ट्र	नागपुर	30.36
					अनंतपुर	12.02		पुणे	41.64
					राज्य के विभिन्न हिस्सों	82.62		चंद्रपुर	1.08
					कडपा	4.81		चंद्रपुर	1.89
				तमिलनाडु	धर्मपुरी	15.55		पालघर	18.03
				तमिलनाडु	धर्मपुरी	3.11		नासिक	29.57
				तमिलनाडु	धर्मपुरी	2.05	नई दिल्ली	नई दिल्ली	17.13
				कर्नाटक	बीजापुर	388.07	नई दिल्ली	नई दिल्ली	0.18
				कर्नाटक	बीजापुर	0.48	ओडिशा	तालचेर	0.12
				छत्तीसगढ़	रायपुर	23.48		कोरापूत	0.65
								ओडिशा	
				छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	128.04		इंद्रावती	0.91
				महाराष्ट्र	भद्रावती	11.85	राजस्थान	राजसमंद	12.78
				महाराष्ट्र	नागपुर	11.4	राजस्थान	अजमेर	38.14
				छत्तीसगढ़	रायपुर	17.89	सिक्किम	साउथ सिक्किम	15.76
				छत्तीसगढ़	रायपुर	18.64	सिक्किम	साउथ सिक्किम	0.49
				छत्तीसगढ़	चंपा	8.79	तमिलनाडु	तमिलनाडु	46.98
				छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा	राज्य के विभिन्न हिस्सों	0.91	तमिलनाडु	कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु	64.86
				छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा	राज्य के विभिन्न हिस्सों	0.9	उत्तर प्रदेश	उधम सिंह नगर	1.49
				महाराष्ट्र	बोईसर	41.99	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	23.15
				मध्य प्रदेश	बेतुल	86.01	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	18.12
				गुजरात	वापी	27.53	उत्तराखण्ड	कोटेश्वर	5.39
				गुजरात	वापी	46.49	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न हिस्से	82.03
				मध्य प्रदेश	खंडवा	17.17	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न हिस्से	21.38
					इंदौर	8.17	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न हिस्से	6.96
					उज्जैन	6.19	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	14.6
					जबलपुर	5.11	पश्चिम बंगाल	मालदा	61
					इंदौर	90.56	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार	2.27
					भोपाल	55.71			
				गुजरात	अहमदाबाद	1.16			
				मध्य प्रदेश	सतना	16.89			
				गुजरात	वडोदरा	0.84			
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	असम, बिहार, छत्तीसगढ़, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल	देश के विभिन्न हिस्से	351.2	नई दिल्ली	नई दिल्ली	459.53	आंध्र प्रदेश और तेलंगना	"23 स्थानों में एपी और टीएस	96.35
	बिहार	पूर्णिया	1.93	झारखण्ड	गरवाह	12.16	अरूणाचल प्रदेश	तेजु	7.46

	दादर नगर हवेली (यूटी)	दमन और दीव	22.24	बिहार	राज्य के विभिन्न हिस्सों	131.33	अरूणाचल प्रदेश	लोहित	1.19
	दिल्ली	दिल्ली	1741.9	झारखण्ड	राज्य के विभिन्न हिस्सों	170.79	असम	कामरूप	99.72
	हरियाणा	कुरुक्षेत्र	1.12	बिहार	राज्य के विभिन्न हिस्सों	200.7	असम	सोनितपुर	0.25
	हिमाचल प्रदेश	सोलन / नालागढ़	2.03	बिहार	औरंगाबाद	174.71	बिहार	औरंगाबाद	0.53
	मध्य प्रदेश	बीना	3.91	बिहार	राज्य के विभिन्न हिस्सों	1.39	बिहार	राज्य के विभिन्न हिस्सों	1.79
	मेघालय	पश्चिम खासी हिल	2.78	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	5.35	बिहार	पटना	0.97
	ओडिशा	जयपोर	3.33	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम	5.58	हरियाणा	यमुना नगर	5.74
	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न भाग	168.46	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	22.35	हरियाणा	विभिन्न जिलों	103.93
	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न भाग	59.8	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	5.39	जम्मू व कश्मीर	एनआर द्वितीय	16.83
	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	6.92	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम	राज्य के विभिन्न हिस्सों	15.54	झारखण्ड	राज्य के विभिन्न हिस्सों	3.85
	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	1.83	पश्चिम बंगाल	राज्य के विभिन्न हिस्सों	143.37	मध्य प्रदेश	सतना	8.22
	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	2.86	सिक्किम	पूर्वी और दक्षिण सिक्किम	0.55		सीधी	8.73
	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार	15.74	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	0.45		सतना	41.67
				ओडिशा	विभिन्न जिलों	1.54		सतना	4.24
				असम, मणिपुर	दीमा हसाओ, सोनितपुर, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, चुराचंदपुरचंदेल, उखुल, सेनापति, तमंगलगोंग, जिरीबाम	90.09		सागर	42.42
				असम	सोनितपुर	9.62	महाराष्ट्र	नमी मुंबई	29.41
				मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय	इम्फाल ईस्ट, उनाकोटी, पूर्वी जेंतिया हिल्स	2.27	महाराष्ट्र	मुंबई	295.36
				असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम	सोनितपुर, तुइवामित, कोकराझार, दीमापुर, जिरीबाम, इम्फाल पश्चिम, पापम्पारे, नागांव, कचर, पूर्वी खसी पहाड़ियों	3.21	महाराष्ट्र	नागपुर	0.68
				असम	कामरूप	107.99	महाराष्ट्र	पालघर	14.31
				असम	तेजु	4.89	मिजोरम	कोलासिब	7.6
				उत्तर प्रदेश, राजस्थान	सीकर, कोटपट्टी, जयपुर, कंक्रोली, इलाहाबाद, वाराणसी, ओराई, चित्तौड़गढ़, अजमेर	98.62	New Delhi	नई दिल्ली	869.48
				उत्तराखण्ड	देहरादून, तेहरी, पिथौरागढ़	13.43	ओडिशा	अंगुल, ओडिशा	6.7
				दिल्ली	नई दिल्ली	17.58	ओडिशा	जयपोर	10.19
				उत्तराखण्ड	हरिद्वार	4.05	ओडिशा	इंद्रावती	14.52
				जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	66.88	ओडिशा	जयपोर	10.91
				उत्तर प्रदेश	लखनऊ	78.77	ओडिशा	इंद्रावती	0.3
				उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	5.63	ओडिशा	रेंगाली	6.98
				उत्तर प्रदेश	गोरखपुर, कानपुर, आगरा, बरेली	16.16	ओडिशा	अंगुल, ओडिशा	2.01
				तेलंगना	डिकपल्ली	15.34	ओडिशा	अंगुल, ओडिशा	11.55
				कर्नाटक,तमिलनाडु,केरलवपुडुचेरी	मदुरै, टीवीएम, पलक्कड़, कोझिकोड, पांडी, एरानाकुलम, दरेद, कोलार, तुम्कर, त्रिचूर, त्रिची, धर्मपुरी, एरियालुर, तिरुपुर,	120.29	ओडिशा	अंगुल, ओडिशा	3.46
				तमिलनाडु	अरियालुर	0.22	पंजाब	मोगा	4.38
				महाराष्ट्र	नागपुर, परली, पद्घे इत्यादि	39.32	राजस्थान	राजसमंद	72.06
				महाराष्ट्र	नागपुर	51.74	तमिलनाडु	एरियालुर, तमिलनाडु	16.16

				महाराष्ट्र	नागपुर	0.32	तमिलनाडु	कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु	101.84
				छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा	राज्य के विभिन्न हिस्से	3.72	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	29.29
				महाराष्ट्र	बोईसर	11.72	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	294.44
				मध्य प्रदेश व गुजरात	राज्यों के विभिन्न हिस्सों	85.16	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	31.89
				मध्य प्रदेश	सतना	4.04	राज्यों के विभिन्न हिस्से	राज्य के विभिन्न हिस्सों	3.76
				मध्य प्रदेश	दमोह	9.31	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	0.16
				मध्य प्रदेश	बीना	7.86	पश्चिम बंगाल	उत्तर 25 परागाना	6.35
				डीएनएच	दमन	6.92	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	77.18
पीने के पानी और स्वच्छता	उत्तर प्रदेश	आगरा	32.13	आंध्र प्रदेश	कडपा	25.91	अखिल भारत	अखिल भारतीय	4216.06
		फूलपुर, इलाहाबाद	42.26	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	13.12	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	10.03
		वाराणसी	193.83	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	4.4			
		कानपुर	18.94	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	13.47		विशाखापत्तनम	8.94
		बिलसराया	4.27	असम	हैलाकांडी	0.3		गुंटूर	16.72
		देहरादून	6.52	असम	असम, हाफ्लोंग	3.01		काकीनाडा	2.95
	हरियाणा	भिवानी	0	बिहार	दरभंगा	27.41		कडपा	25.63
	हरियाणा	यमुनानगर	14.55	छत्तीसगढ़	जशपुर	11.66	असम	कामरूप	2.9
	बिहार	बारा / गया	2.62	गुजरात		1.55	बिहार	सीतामढ़ी, जयनगर, मधुबनी और दरभंगा	16.95
	बिहार	एकांगर सराय	7.09	हरियाणा	भिवानी	81.41	छत्तीसगढ़	रायगढ़	6.67
	झारखण्ड	धनबाद	35.35	हरियाणा	कैथल	4.03	हरियाणा	गुडगाँव	7.5
	बिहार	बांका	5.76	झारखण्ड	गिरिडीह	47.43	हरियाणा	गुडगाँव	38.2
	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	6.59	कर्नाटक	कोलार	35.66	हरियाणा	फरीदाबाद	168.45
	पश्चिम बंगाल	मालदा	3.25	मध्य प्रदेश	सतना	54.85	हरियाणा	भिवानी	82.1
	अरूणाचल प्रदेश	लोअर डिबांग घाटी	6.87	मध्य प्रदेश	इंदौर	3.57	जम्मू एवं कश्मीर	खर्ता	2.64
	अरूणाचल प्रदेश	लोअर डिबांग घाटी	4.28	महाराष्ट्र	वर्धा	1.35	झारखण्ड	देवगढ़	36.76
	नागालैंड	दीमापुर	2.42	महाराष्ट्र	रत्नागिरी	16.33	कर्नाटक	रामानगर, कर्नाटक	5.91
	नागालैंड	दीमापुर	2.61	महाराष्ट्र	सोलापुर	2.57	मध्य प्रदेश	बेतुल	4.72
	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	6.1	महाराष्ट्र	वर्धा	3.74	मध्य प्रदेश	सागर	35.52
	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	23.37	महाराष्ट्र	भद्रावती	1.42	मध्य प्रदेश	खंडवा	3.83
	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	21.5	महाराष्ट्र	भद्रावती	4.89	मध्य प्रदेश	खंडवा	6.14
	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	15.36	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	6	महाराष्ट्र	थाइन	9.51
	छत्तीसगढ़	जशपुर	11.43	महाराष्ट्र	नागपुर	0.51	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	13.16
	गुजरात	अंजर, कच्छ	6.86	महाराष्ट्र	बोईसर	46.64	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	1.18
	मध्य प्रदेश	खंडवा	14.97	नई दिल्ली	नई दिल्ली	3109.29	महाराष्ट्र	पुणे	6.5
	ओडिशा	झारसुगुडा	11.17	ओडिशा	सुंदरगढ़	2.61	महाराष्ट्र	पुणे	37.85
	ओडिशा	सुंदरगढ़	1.45	ओडिशा	अंगुल	15.43	महाराष्ट्र	वर्धा	15.13
	ओडिशा	रेंगाली	1.45	ओडिशा	सुंदरगढ़	0.5	महाराष्ट्र	देश के विभिन्न हिस्से	22.45
	विभिन्न राज्य जहां से होकर गंगा बहती है	विभिन्न जिलों	203.18	पंजाब	मोगा	2.43	महाराष्ट्र	नासिक	26.68
	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश	देश के विभिन्न हिस्से	5311.63	त्रिपुरा	कुमारघाट	0.66	ओडिशा	क्योंझर	6.12

	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न हिस्से	7.31	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	578.65	ओडिशा	अंगुल	7.34
					आगरा	69.13	ओडिशा	सुंदरगढ़	0.48
					इलाहाबाद	42.49	ओडिशा	सुंदरगढ़	0.52
					बलरामपुर	53.39	ओडिशा	जयपोर	9.64
					चंदौली / वाराणसी	84.83	ओडिशा	क्योंझर	3.81
					गाजीपुर	36.61	ओडिशा	सुंदरगढ़ ओडिशा	2.01
					कुशीनगर	46.34	ओडिशा	सुंदरगढ़ ओडिशा	1.96
					कुशीनगर	32.48	ओडिशा	अंगुल, ओडिशा	1.17
					प्रतापगढ़	60.34	ओडिशा	बारीपदा	2.51
					प्रतापगढ़	32.42	पंजाब	मोगा	8.25
					अकबरपुर, कानपुर	12.15	राजस्थान	कोटपुतली	8.86
					इलाहाबाद	3.11	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	5.7
				देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न भाग	1178.35	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	168.64
					देश के विभिन्न भाग	132.51	उत्तर प्रदेश	बागपत	108.43
				पश्चिम बंगाल	मालदा	4.24	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	22.02
								बस्ती	21
								गाजीपुर	110.25
								प्रतापगढ़	23.89
								इलाहाबाद	0.14
								जालौन	58.24
								लखनऊ	0.76
								वाराणसी	201.32
								कन्नौज	2.24
								प्रतापगढ़	30.21
								गाजीपुर	8.73
								प्रतापगढ़	30.68
								देवरिया	30.16
								इलाहाबाद	98.66
								कुशीनगर	23.56
								चंदौली	38.03
								इलाहाबाद	0.63
							देश के विभिन्न हिस्से	विभिन्न जिलों	180.52
								देश के विभिन्न भाग	121.22
								देश के विभिन्न भागों	0.64
							पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	28.94
महिला सशक्तिकरण	आंध्र प्रदेश	कडपा	6.95				हरियाणा	नुह-मेवात	153.63
	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 पीएनजी	1.68				झारखण्ड	पलामू	10.14
पर्यावरण संरक्षणn	असम	कोकराझार	8.17	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न हिस्से	83.5	आंध्र प्रदेश	सुरमपलेम	29.26
	बिहार	पटना	27.45	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न हिस्से	4.08	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	131.75
	बिहार,झारखण्ड व ओडिशा	विभिन्न जिलों	157.32	हरियाणा	गुडगाँव	0.07	गुजरात	कुछ तो	9.49
	छत्तीसगढ़	रायपुर	13.21	बिहार	पूर्णिया	76.04	हरियाणा	गुडगाँव	2.17
	केरल	अलपुझा	5.79	बिहार	पटना	0.62	हरियाणा	गुडगाँव	0.29
	मध्य प्रदेश	भोपाल	29.46	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	0.11	हरियाणा	जींद	32.83
	ओडिशा	अंगुल	5.69	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	0.16	हरियाणा	कुरूक्षेत्र	12.41
	उत्तर प्रदेश	भदोई	127.09	ओडिशा	कालाहांडी	4.85	जम्मू एवं कश्मीर	कुथर और कनयाला	0.08
	उत्तर प्रदेश	बागपत	24.03	मेघालय, असम	पूर्वी खासी हिल्स, नागांव	0.15	मिजोरम	आइजोल	2.11
	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न हिस्से	49.54	उत्तर प्रदेश	बागपत	43.84	राजस्थान	जोधपुर और पाली	7.24
				उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	2.13	उत्तर प्रदेश	नूरपुर	80.48
				जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	7.32		इलाहाबाद	22.87
				उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	6.13		लखनऊ	88.68
				उत्तर प्रदेश	बस्ती	84.99		पीलीभीत	36.75
				उत्तर प्रदेश	भदोई	98.65		श्रावस्ती	88.37

				उत्तर प्रदेश	लखनऊ	57.37	देश के विभिन्न हिस्से	देश के विभिन्न हिस्से	74.87
				उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	145.87	पश्चिम बंगाल	मालदा	10.54
				उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	64.83			
				उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	3.21			
				आंध्र प्रदेश	सुरमपलेम	26.05			
				केरल	अलाप्पुझा	0.09			
				छत्तीसगढ़	रायपुर	59.9			
				छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा	राज्य के विभिन्न हिस्सों	0.61			
				महाराष्ट्र	बोईसर	18.56			
				मध्य प्रदेश	दमोह	13.75			
				मध्य प्रदेश	जबलपुर	11.77			
				मध्य प्रदेश	भोपाल	1.07			
खेल, कला, संस्कृति, विरासत	बिहार	आरा	-16.04	नई दिल्ली	नई दिल्ली	51.82	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	30.05
	छत्तीसगढ़	रायपुर	2.03	नई दिल्ली	नई दिल्ली	16.84	बिहार	दरभंगा और मधुबनी	5.27
	हरियाणा	नुह-मेवात	3.76	झारखण्ड	हजारीबाग	1.01	बिहार	सुपौल	25.59
	महाराष्ट्र	सोलापुर	26.01	बिहार	पटना	25.91	गुजरात	गांधी नगर	1317.52
	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	1.02	ओडिशा	जाजपुर	51.82	नई दिल्ली	नई दिल्ली	210.8
	उत्तर प्रदेश	आगरा	4.65	हरियाणा	जींद	4.44	नई दिल्ली	नई दिल्ली	15.81
				उत्तर प्रदेश	रामपुर	15.55	नई दिल्ली	नई दिल्ली	0.86
				उत्तर प्रदेश	वाराणसी	530.59	ओडिशा	सुंदरगढ़	0.09
				उत्तर प्रदेश	आगरा	4.77	राजस्थान	जयपुर	91.03
				आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	31.09	सिक्किम	गंगटोक	7.08
				केरल	मलप्पुरम	51.82	उत्तर प्रदेश	आगरा	4.22
				महाराष्ट्र	सोलापुर	2.88			
				मध्य प्रदेश	सतना	12.71			
ग्रामीण विकास	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	99.63	बिहार	समस्तीपुर	21.13	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	150.24
		नैल्लोर	10.15	बिहार	गया	12.38		कुरनूल	3.93
	असम	बी. चरियाली	3.05	बिहार	लखीसराय	13.53		गुंटूर	100.13
		बी. चरियाली	6.13	बिहार	राज्य के विभिन्न हिस्सों	24.49		अनंतपुर	4.22
	बिहार	पटना	3.16	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	27.15	असम	चिरांग	11.11
		पूर्णिया	13.52	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	22.35			2.16
	छत्तीसगढ़	रायगढ़	1.48	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम	37.62		बीएनसी	0.5
	गुजरात	वापी	3.65	हरियाणा	भिवानी	46.5	बिहार	समस्तीपुर	73.28
		सूरत	16.33	उत्तर प्रदेश	कुंदा	19.52		किशनगंज	73.21
		गांधीनगर	33.38	जम्मू एवं कश्मीर	सांबा	9.37	गुजरात	पलसाना	7.64
		अंकलास	4.28	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	307.49		वडोदरा	23.72
	हरियाणा	मानेसर	197.52	तेलंगना	हैदराबाद	77.7		बनसकांठा	58.9
	जम्मू एवं कश्मीर	सांबा	80.13	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	44.22	हरियाणा	भिवानी	126.56
	मध्य प्रदेश	बेतुल	14.55	तमिलनाडु	कांचीपुरम	11.29	हरियाणा	भिवानी	15.88
	महाराष्ट्र	पद्घे, ठाणे	38.14	ओडिशा	अंगुल	14.51	जम्मू एवं कश्मीर	एनआर द्वितीय	7.49
		सांगली और पुणे	27.77	महाराष्ट्र	सांगली और पुणे	7.55	कर्नाटक	बीजापुर, कर्नाटक	191.73
		पुणे	64.68	महाराष्ट्र	सांगली और पुणे	1.4	कर्नाटक	बीजापुर, कर्नाटक	0.74
		सांगली और पुणे	8.03	छत्तीसगढ़	रायगढ़	19.74	मध्य प्रदेश	सतना	18.7
		पुणे	5.9	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	28.36	मध्य प्रदेश	जबलपुर	1.22
		गोंदिया	5.79	महाराष्ट्र	पुणे	97.9	महाराष्ट्र	वर्धा	20.03
	मणिपुर	सेनापति और तमंगलगोंग जिला	6.75	महाराष्ट्र	पुणे	41.69	महाराष्ट्र	पुणे	-0.82
	मिजोरम	आइजोल	3.47	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	13.69	मिजोरम	आइजोल	21.13
	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	1.1	मध्य प्रदेश	बेतुल	7.95	ओडिशा	अंगुल	1.38
	उत्तर प्रदेश	कबीर नगर,	82.42	महाराष्ट्र	पालघर	87.79			10.51

	उत्तर प्रदेश	बरेली	6.56						0.04
									6.32
									34.88
									11.33
								सुंदरगढ़	19.49
								अंगुल	3.83
								सुंदरगढ़	1.08
							पंजाब	मलेरकोटला	8.43
							उत्तर प्रदेश	कुंदा	3.96
								वाराणसी	725.2
								आगरा	6.74
							पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार	59.52
								अलीपुरद्वार	2.58
								मुर्शिदाबाद	34.59
								अलीपुरद्वार	45.84
स्थानीय क्षेत्र विकास	असम	सोनितपुर	0.19	हरियाणा	गुडगाँव	2.82	बिहार	पटना	163.6
	असम	बी. चरियाली	0.4	हरियाणा	गुडगाँव	5.46	बिहार	राज्य के विभिन्न हिस्सों	156.08
	मणिपुर	सेनापति	7.8	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार	73.27	महाराष्ट्र	मुंबई	184.45
	पश्चिम बंगाल	बर्धमान	4.67	ओडिशा	अंगुल	323.38	ओडिशा	जाजपुर	194.99
				असम	कछार	-1.02	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	22.56
				असम, मणिपुर, मेघालय	कचर, नागांव, पूर्वी खसी हिल्स, सोनितपुर	0.58			
				असम	सोनितपुर	7.82			
				असम	सोनितपुर	47.03			
				जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	1.76			
				हरियाणा	अब्दुल्लापर	4.86			
				उत्तर प्रदेश	रामपुर	15.55			
				आंध्र प्रदेश	सुरमपलेम	5.11			
				मध्य प्रदेश	सिवनी	10.36			
				मध्य प्रदेश	जबलपुर	3.28			
अवसरंचना विकास	बिहार	फतेहपुर गांव	0.57	झारखण्ड	धनबाद	4.54	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	38.5
	छत्तीसगढ़	दुर्ग	22.37	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	18.36	बिहार	विभिन्न जिले	1.68
	झारखण्ड	बगोदार	44.09	ओडिशा	खोर्धा	7.77	हरियाणा	गुडगाँव	11.03
	कर्नाटक	यलहंका	15.24	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	2.59	हरियाणा	गुडगाँव	5.13
	मध्य प्रदेश	सिवनी	4.09	उत्तर प्रदेश	आगरा	152.12	जम्मू एवं कश्मीर	खर्ता	26.54
	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	25.87	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	10.43	झारखण्ड	धनबाद	46.2
	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	3.05	आंध्र प्रदेश	प्रकाशन	32.16	झारखण्ड	धनबाद	34.25
	महाराष्ट्र	पालघर	89.97	तमिलनाडु	सलेम	21.77	कर्नाटक	येलाहंका	26.35
	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	12.46	कर्नाटक	बैंगलोर शहरी	31.17	कर्नाटक	कोडागू	26.35
				कर्नाटक	कोडागू	20.73	मिजोरम	आइजोल	14.76
				छत्तीसगढ़	दुर्ग	0.39	तमिलनाडु	सलेम	9.49
				छत्तीसगढ़	भाटापारा	0.81	उत्तर प्रदेश	आगरा	104.22
				मध्य प्रदेश	जबलपुर	1.4	उत्तर प्रदेश	आगरा	17.19

आरईसी लि. के सीएसआर कार्यकलाप

(राशि लाख में)

सीएसआर क्रियाकलापों की श्रेणी	2015-16			2016-17			2017-18		
	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि
शिक्षा और कौशल विकास का संवर्धन	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	5.34	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़, तुमाकुरू, चिकमागलूर, कोडागू, चमराजानगर, उडूपी, मन्डया, बल्लेरी, बगलकोट, विजयपुरा	2	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	3
	बिहार	छपरा तथा भागलपुर	43.43				बिहार	छपरा तथा भागलपुर	13.81
	छत्तीसगढ़	बस्तर	3.01						
		कोरबा	20.36						
	दिल्ली	नई दिल्ली	41.85				हरियाणा	मुर्थल	181.00
	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	3.85				जम्मू एवं कश्मीर	कुपवाड़ा	33.6
	कर्नाटक	बंगलूरू	4.15				कर्नाटक	उत्तर कन्नड़, तुमाकुरू, चिकमागलूर, कोडागू, चमराजानगर, उडूपी, मन्डया, बल्लेरी, बगलकोट, विजयपुरा	123.38
	मध्य प्रदेश	भोपाल	2.99	मध्य प्रदेश	भोपाल	39	मध्य प्रदेश	भोपाल	151.28
		कटनी, धार, बालाघाट तथा मंडला	40.73						
	महाराष्ट्र	पुणे	4.25						
	ओडिशा	गजपति	63.62				ओडिशा	नयागढ़	7.19
	पंजाब	फिरोजपुर तथा अमृतसर	39.56	पंजाब	फिरोजपुर तथा अमृतसर	9	तेलंगाना	नलगोंडा	5.57
	राजस्थान	जयपुर	76.14						
	तमिलनाडु	लोअर डिबांग	73.2						
		घाटी							
	तेलंगाना	नलगोंडा	11.58						
	उत्तर प्रदेश	नोएडा,	31.58	उत्तर प्रदेश	नोएडा	39	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर एवं बहराइच	13.81
		बस्ती और अम्बेडकरनगर	13.53					वाराणसी	370.67
		भदोही	9.76				अखिल भारतीय कार्यक्रम		519.49
		गाजीपुर और बेहरिच	43.43						
	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	1.31						
		टिहरी	120						
		देहरादून	1.91						
	अखिल भारतीय कार्यक्रम		395.35						
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मध्य प्रदेश	अशोक नगर	54.84	अखिल भारतीय कार्यक्रम		80	झारखण्ड	लातेहार	80.76
	ओडिशा	कटक	28.92				मध्य प्रदेश	अशोक नगर	4.07
		जगतसिंहपुर	7.7				ओडिशा	कटक	193.55
	पंजाब	टौंक	5.86					भुवनेश्वर	4.52

	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	35.36				राजस्थान	भीलवाड़ा	151.74
		सोनभद्र	9					जयपुर	70
	अखिल भारतीय कार्यक्रम		437.25				उत्तर प्रदेश	राय बरेली	3.41
							अखिल भारतीय कार्यक्रम		30.62
पीने के पानी और स्वच्छता	राजस्थान	जयपुर	5.86	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	175.00	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा और चित्तूर जिलों	83.92
		राजस्थान के जोधपुर, अजमेर और उदयपुर जिलों	15.91				हरियाणा	पलवल	6
					गाजीपुर	321.00	केरल	कायमकुलम	49.23
					बस्ती	15.00	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	225.00
								बस्ती	28.64
	तेलंगाना	आदिलाबाद, खम्मम, महबूबनगर, नलगोंडा और रंगा रेड्डी	601.43	अखिल भारतीय कार्यक्रम		5,000.00		मथुरा, आगरा, इटावा, गाजियाबाद, रामपुर, मोरादाबाद, हरदोई, अजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद	79.87
		नलगोंडा	-2.39					कानपुर	69.52
	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	7.99					जौनपुर	43.6
	अखिल भारतीय कार्यक्रम		7,970.06					श्रावस्ती	19.84
								इलाहाबाद	20.84
महिला सशक्तिकरण	उत्तर प्रदेश	सीतापुर और बाराबंकी	3.65						
पर्यावरण संरक्षण	अरूणाचल प्रदेश	अपर सियांग, दीबांग घाटी, लोअर दीबांग घाटी, कुरुंग कुमी और लोहित	28.16	बिहार	पूर्णिया	38	दिल्ली		12.48
	झारखण्ड	गिरिडीह	40.86	दिल्ली	नई दिल्ली	214	हरियाणा	गुड़गांव और मेवाट	121.79
							हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	59.2
							झारखण्ड	गिरिडीह	5.53
	मध्य प्रदेश	अशोकनगर, गुना तथा शिवपुरी	85.5	ओडिशा	कंधमाल, नबरंगपुर, कोरापूत, रायगढ़, बारगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलनगीर एवं किओंजर जिले	143	कर्नाटक	बैंगलोर	134.23
							ओडिशा	कंधमाल, नबरंगपुर, कोरापूत, रायगढ़, बारगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलनगीर एवं किओंजर जिले	4.38
	ओडिशा	धेंकेनल	2.17					मयूरभंज	9.95
		मयूरभंज	73.56						
	अखिल भारतीय कार्यक्रम		1,500.00	तमिलनाडु	चेन्नई	580	राज्स्थान	भरतपुर	4.05
								जयपुर	21.9
							तमिलनाडु	चैन्नई	326
				उत्तर प्रदेश	भदोही	10	उत्तर प्रदेश	भदोही	14.39
खेल, कला, संस्कृति, विरासत	गुजरात	अहमदाबाद	30	-		-			
	हरियाणा	फरीदाबाद	2						
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर तथा अनंतपुर	477.55				अखिल भारतीय कार्यक्रम		1,305.37

पीएफसी लि. के सीएसआर कार्यकलाप

(राशि लाख रुपए में)

सीएसआर क्रियाकलापों की श्रेणी	2015-16			2016-17			2017-18		
	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि
शिक्षा और कौशल विकास का संवर्धन	अखिल भारत		1,606.46	बहुराज्य/अखिल भारत	उपलब्ध नहीं	3,032.00	बहुराज्य/अखिल भारत	उपलब्ध नहीं	2,644.82
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-			अखिल भारत	उपलब्ध नहीं	472	हिमाचल प्रदेश	सोलन	135.8
							महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं	82.54
							अखिल भारत	उपलब्ध नहीं	0.61
पीने के पानी और स्वच्छता	राजस्थान, बिहार एवं पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं	387.25	मध्य प्रदेश	अशोकनगर	183	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	543.05
	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	12,061.31	राजस्थान, बिहार एवं पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं	27	राजस्थान	उपलब्ध नहीं	161.73
	राजस्थान	उपलब्ध नहीं	936.19	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	4,663.00	उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	398.12
				राजस्थान	उपलब्ध नहीं	414	अखिल भारत (स्वच्छ भारत कोष)	उपलब्ध नहीं	4,924.00
				अखिल भारत (स्वच्छ भारत कोष)	उपलब्ध नहीं	5,482.00			
				मेघालय	उपलब्ध नहीं	31			
पर्यावरण संरक्षण	-			-			नई दिल्ली	उपलब्ध नहीं	400
							महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं	211.04
खेल, कला, संस्कृति, विरासत	-			अखिल भारत	उपलब्ध नहीं	10	-		
ग्रामीण विकास	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	उपलब्ध नहीं	172.26	जम्मू एवं कश्मीर	उपलब्ध नहीं	167	बिहार	उपलब्ध नहीं	228.43
	असम, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	97.13	तेलंगाना	महबूबनगर	91	अरूणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	272.17
	झारखण्ड	गिरिडीह, बोकारो एवं धनबाद	25.31	आंध्र प्रदेश ओडिशा एवं उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	22	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत, बस्ती, भदोही, बिजनौर	212.77
	छत्तीसगढ़	उपलब्ध नहीं	50.32	असम, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	61	झारखण्ड	गिरीडीह, बोकारो एवं धनबाद	48.25
	ओडिशा	लोअर दिबांग वैली	12.15	झारखण्ड	गिरीडीह, बोकारो एवं धनबाद	145	छत्तीसगढ़	उपलब्ध नहीं	1,274.20
	मध्य प्रदेश	अशोकनगर	80.68	ओडिशा	उपलब्ध नहीं	69	राजस्थान	पाली	22.84
	उत्तर प्रदेश	भदोही, फूलपुर	21.8	मध्य प्रदेश	अशोकनगर	54	बिहार	सीमामढ़ी	41.95
				अरूणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	670			
				बिहार	उपलब्ध नहीं	511			
				उत्तर प्रदेश	भदोही, फूलपुर, पीलीभीत, बस्ती एवं श्रावस्ती	379			
				उत्तराखण्ड	उपलब्ध नहीं	102			
सीएसआर पर खर्च होने वाली कुल राशि का 5% तक प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन इत्यादि सहित प्रशासन ओवरहेड	-	-	342.42			226			215.7

नीपको के सीएसआर कार्यकलाप

(राशि लाख रुपए में)

सीएसआर क्रियाकलापों की श्रेणी	2015-16			2016-17			2017-18		
	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि
शिक्षा और कौशल विकास का संवर्धन	मेघालय	ई.के. हिल्स	32.41	अरूणाचल प्रदेशे	लोअर सुबानसिरी	6.99	अरूणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग	11.8
	त्रिपुरा	त्रिपुरा(डब्ल्यू)	2.62	असम	डिब्रूगढ़	18.21	त्रिपुरा	त्रिपुरा(डब्ल्यू)	30.57
	मिजोरम	कोलासिब	0.66	त्रिपुरा	त्रिपुरा(डब्ल्यू)	11.26	असम	डिब्रूगढ़	21.08
	नागालैंड	वोखा	4.29	नागालैंड	वोखा	1.56	त्रिपुरा	सेपाहीजाला	26.68
	अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	15.13	मेघालय	ई.के. हिल्स	126.53	मेघालय	ई.के. हिल्स	54.53
	त्रिपुरा	सेपाहीजाला	2.04	अरूणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग	9.15	असम	दिमा हसाओ	6.19
	असम	डिब्रूगढ़	9.36	असम	दिमा हसाओ	3.52	अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	13.44
	असम	दिमा हसाओ	6.48	अरूणाचल प्रदेश	पापमपारे	15.45	मिजोरम	कोलासिब	2.66
				त्रिपुरा	सेपाहीजाला	14.7			
				मिजोरम	कोलासिब	7.15			
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मेघालय	ई.के. हिल्स	15.76	अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	12.69	अरूणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग	6.39
	त्रिपुरा	त्रिपुरा(डब्ल्यू)	3.31	असम	डिब्रूगढ़	1.91	त्रिपुरा	त्रिपुरा(डब्ल्यू)	0.99
	मिजोरम	कोलासिब	7.26	नागालैंड	वोखा	36.04	असम	डिब्रूगढ़	1.05
	नागालैंड	वोखा	0.39	अरूणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग	10.22	त्रिपुरा	सेपाहीजाला	1.78
	त्रिपुरा	सेपाहीजाला	1.2	असम	दिमा हसाओ	1.31	मेघालय	ई.के. हिल्स	22.81
				त्रिपुरा	सेपाहीजाला	1.86			
				मिजोरम	कोलासिब	1.3	असम	सोनितपुर	4.35
पीने के पानी और स्वच्छता	असम	दिमा हसाओ	0.57	अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	43.72	अरूणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग	28.34
	मेघालय	ई.के. हिल्स	4.85	असम	डिब्रूगढ़	21.3	त्रिपुरा	त्रिपुरा(डब्ल्यू)	18.49
	त्रिपुरा	सेपाहीजाला	3.63	त्रिपुरा	त्रिपुरा(डब्ल्यू)	7.09	असम	डिब्रूगढ़	21.67
	अरूणाचल प्रदेश	लोअर दिबांग वैली	53.14				त्रिपुरा	सेपाहीजाला	3
	नागालैंड	वोखा	84.09	मेघालय	ई.के. हिल्स	42.97	मेघालय	ई.के. हिल्स	28.9
	अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	96.62	असम	कामरूप	46.98	अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	11.7
	असम	डिब्रूगढ़	13.75				नागालैंड	वोखा	0.05
	त्रिपुरा	त्रिपुरा(डब्ल्यू)	0.53		दिमा हसाओ	7.81	असम	कामरूप	0.35
	अरूणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग	7.2	अरूणाचल प्रदेश	पापमपारे	4.95	मिजोरम	कोलासिब	1.59
	मेघालय	रि-भोई	80.26	त्रिपुरा	सेपाहीजाला	7.44	अरूणाचल प्रदेश	क्रा डाडी	6.89
	असम/मणिपुर	कामरूप/इम्फाल	373.09	मिजोरम	कोलासिब	0.27			
उद्यमिता विकास	अरूणाचल प्रदेश	पापमपारे	53.13	अरूणाचल प्रदेश	पापमपारे	0.6	मेघालय	ई.के. हिल्स	15.87
	अरूणाचल प्रदेश	सिआंग	19.95				असम	डिब्रूगढ़	2.59
महिला सशक्तिकरण	मेघालय	ई.के. हिल्स	7.31	असम	डिब्रूगढ़	0.71	-		
पर्यावरण संरक्षण	मिजोरम	कोलासिब	12.05	अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	9.92	अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	22.49
	त्रिपुरा	सेपाहीजाला	2.68	अरूणाचल प्रदेश	पापमपारे	18.82	अरूणाचल प्रदेश	पापमपारे	10.82
खेल, कला, संस्कृति, विरासत	नई दिल्ली	नई दिल्ली	3.99	असम	डिब्रूगढ़	7.91	असम	डिब्रूगढ़	0.48
	असम	कामरूप एवं अन्य	40.89				मेघालय	ई.के. हिल्स	11.28
	असम	दिमा हसाओ	8.69	मेघालय	ई.के. हिल्स	8.83			
				अरूणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग	5.89			
				असम	दिमा हसाओ	2.45			
ग्रामीण विकास	असम	दिमा हसाओ	8	नागालैंड	वोखा	5	असम	डिब्रूगढ़	0.73
	मिजोरम	कोलासिब	10.43	असम	दिमा हसाओ	35.31	मेघालय	ई.के. हिल्स	29.72
	असम	डिब्रूगढ़	23.63	मिजोरम	कोलासिब	10.57	नागालैंड	वोखा	8.94
				अरूणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग	2.96	असम	कामरूप	2.83
				अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	4.78	अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	4.57
							मिजोरम	कोलासिब	1.91
							असम	दिमा हसाओ	32.96
							अरूणाचल प्रदेश	पापमपारे	1.44
							त्रिपुरा	सेपाहीजाला	1.51
स्थानीय क्षेत्र विकास	असम	कामरूप	18	असम	कामरूप	18	असम	कामरूप	18
बुनियादी ढांचे का विकास	असम	दिमा हसाओ	2.72	अरूणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग	10.5	अरूणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग	13.68
	मेघालय	ई.के. हिल्स	0.48	मेघालय	ई.के. हिल्स	2.95	अरूणाचल प्रदेश	पापमपारे	14.8
							मेघालय	ई.के. हिल्स	3.74
							अरूणाचल प्रदेश	क्रा डाडी	10
							अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	15.97
							असम	डिब्रूगढ़	14.8

टीएचडीसी के सीएसआर क्रियाकलाप

(राशि लाख में)

सीएसआर	2015-16			2016-17			2017-18		
क्रियाकलापों की श्रेणी	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि
शिक्षा और कौशल विकास का संवर्धन	उत्तराखण्ड	टिहरी	10.14	उत्तराखण्ड	टिहरी	12.7	उत्तराखण्ड	टिहरी	114.21
		यूएस नगर	0.8					देहरादून	17.76
		टिहरी	54.15		टिहरी	32.3		टिहरी	15.65
		देहरादून	4.51		देहरादून	9.62		देहरादून	4.75
		हरिद्वार	1.26		उत्तरकाशी	1.47		उत्तरकाशी	1.15
		उत्तरकाशी	1.32				उत्तर प्रदेश	खुर्जा	6.8
		टिहरी	116.23		टिहरी	45.63	उत्तराखण्ड	टिहरी	31.52
		टिहरी	196		टिहरी	272.02		टिहरी	288.51
		देहरादून	172		देहरादून	240		देहरादून	255.14
		टिहरी	7.93		टिहरी	19.64		टिहरी	14.18
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	उत्तराखण्ड	टिहरी	23.98	उत्तराखण्ड	टिहरी	38.05		टिहरी	29.27
					देहरादून	2.58		देहरादून	2.64
		टिहरी	12.4		टिहरी	20.66		टिहरी	28.67
					हरिद्वार	0.76		देहरादून	5.34
					चमोली	2.11		चमोली	16.67
									2.64
							उत्तर प्रदेश	खुर्जा	
पीने के पानी और स्वच्छता	उत्तराखण्ड	टिहरी	190.38	उत्तराखण्ड	टिहरी	14.99	उत्तराखण्ड	टिहरी	19.17
		देहरादून	55.36		देहरादून	4.15		देहरादून	13.5
		हरिद्वार	45.61				उत्तर प्रदेश	खुर्जा	4.03
		लोअर डिबांग घाटी	38.36						
		पिथोरागढ़	6.95						
		उधम सिंह नगर	104.9						
		जोशीमठ	0.12						
		चमोली	17.4						
	उत्तर प्रदेश	झांसी	24.7						
		गौतमबुद्ध नगर	12.4						
	उत्तराखण्ड	टिहरी	13.2	उत्तराखण्ड	टिहरी	9.06	उत्तराखण्ड	टिहरी	12.94
					देहरादून	8.2			
		टिहरी	3		देहरादून	1.86		टिहरी	3.6
		देहरादून	4.32					देहरादून	16.2
					टिहरी	54.76		देहरादून	0.09
		टिहरी	3.86	उत्तराखण्ड	टिहरी	1.32		टिहरी	24.62
					देहरादून	3.81		देहरादून	10.78
				उत्तर प्रदेश	झांसी	2.79	उत्तर प्रदेश	खुर्जा	0.92
महिला सशक्तिकरण	उत्तराखण्ड	टिहरी	7.82	उत्तराखण्ड	टिहरी	7.62	उत्तराखण्ड	टिहरी	17.65
		देहरादून	9.28		देहरादून	7.27		देहरादून	7.77
		हरिद्वार	0.39				उत्तर प्रदेश	खुर्जा	0.63
	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	0.46						
पर्यावरण संरक्षण	उत्तराखण्ड	देहरादून	3.68	उत्तराखण्ड	देहरादून	10.83	उत्तराखण्ड	देहरादून	14.86
				उत्तराखण्ड	टिहरी	8.58	उत्तराखण्ड	सितारगंज	47.7
					देहरादून	5.25	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	41.02
					हरिद्वार	5.8		लखनऊ	41.03
					उत्तरकाशी	5.12			
					सितारगंज	43.33			
				उत्तर प्रदेश	उन्नाव	37.08			
					लखनऊ	37.08			
खेल, कला, संस्कृति, विरासत	उत्तराखण्ड	देहरादून	2.5	उत्तराखण्ड	देहरादून	13	उत्तराखण्ड	देहरादून	25.24
		उत्तरकाशी	1		हरिद्वार	18			
								देहरादून	170.54
				उत्तराखण्ड	देहरादून	2.05	दिल्ली	दिल्ली	15
							उत्तराखण्ड	देहरादून	4.79
ग्रामीण विकास	उत्तराखण्ड	टिहरी	107.66	उत्तराखण्ड	टिहरी	180.49	उत्तराखण्ड	टिहरी	125.22
		देहरादून	25	उत्तराखण्ड	टिहरी	1.24			
		टिहरी	6.09						
		टिहरी	10.58						
बुनियादी ढांचे का विकास	उत्तराखण्ड	टिहरी	11.13	उत्तराखण्ड	टिहरी	218.79	उत्तराखण्ड	टिहरी	116.34
		देहरादून	4.93		देहरादून	95.9		देहरादून	3.46
सीएसआर प्रशासनिक व्यय			23.2			38.93			48.45

एसजेवीएनएल के सीएसआर कार्यकलाप

(राशि रू. लाख में)

सीएसआर क्रियाकलापों की श्रेणी	2015-16			2016-17			2017-18		
	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि	राज्य	जिला	राशि
शिक्षा और कौशल विकास का संवर्धन	हिमाचल प्रदेश	शिमला	148	हिमाचल प्रदेश	शिमला	885.89	हिमाचल प्रदेश	शिमला	135.71
		कुल्लू	21.9		कुल्लू	265.5		कुल्लू	53.17
		मंडी	3		मंडी	42.71		मंडी	36.91
		किन्नौर	4		किन्नौर	41.23		किन्नौर	44.19
		हमीरपुर	13		हमीरपुर	60.31		हमीरपुर	68.02
		कांगड़ा	14		कांगड़ा	49.65		कांगड़ा	49.07
	दिल्ली		10		एक प्रकार का हंस	13.43		एक प्रकार का हंस	20.77
	चंडीगढ़	-	9		सिरमौर	16.8		सिरमौर	14.52
					चंबा	11.12		चंबा	17.46
					ऊना	12.89		ऊना	22.4
					बिलासपुर	14.12		बिलासपुर	17.45
					लाहौल स्पीति	5.43		लाहौल स्पीति	9
	उत्तराखंड	उत्तरकाशी	21.05	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	39.22	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	30.79
		चमोली	22		चमोली	29.14		चमोली	27.16
					रुद्रपुर	30		देहरादून	31.77
	अरुणाचल प्रदेश	पापम पारे	11	अरुणाचल प्रदेश	पापम पारे	15.95	अरुणाचल प्रदेश	पापम पारे	4.55
					लोअर सुबामसिरी	5.82			
					तिरप	1.45			
	महाराष्ट्र	अहमदनगर	4	महाराष्ट्र	अहमदनगर	13.18	महाराष्ट्र	अहमदनगर	14.97
	बिहार	बक्सर	33	बिहार	बक्सर	38.36	बिहार	बक्सर	49.47
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	हिमाचल प्रदेश	लोअर डिबांग	63	हिमाचल प्रदेश	शिमला	112.91	हिमाचल प्रदेश	शिमला	79.7
		सोलन	56		सोलन	59.65		सोलन	43.93
		किन्नौर	22		किन्नौर	44.26		किन्नौर	41.35
		कुल्लू	44.5		कुल्लू	49.24		कुल्लू	52.15
		मंडी	7.5		मंडी	11.83		मंडी	15.85
		हमीरपुर	15		हमीरपुर	29.66		हमीरपुर	39.19
		कांगड़ा	17		सिरमौर	2.38		सिरमौर	1.58
					चंबा	2.38		चंबा	1.58
					लाहौल स्पीति	2.38		लाहौल स्पीति	1.58
					ऊना	2.38		ऊना	1.58
					बिलासपुर	2.38		बिलासपुर	1.58
					कांगड़ा	89.33		कांगड़ा	20.13
	उत्तराखंड	उत्तरकाशी	3	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	48.89	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	31.17
		चमोली	51		चमोली	42.55		चमोली	43.63
	महाराष्ट्र	अहमदनगर	12	महाराष्ट्र	अहमदनगर	18.72	महाराष्ट्र	अहमदनगर	20.64
	बिहार	बक्सर	40	बिहार	बक्सर	90.81	बिहार	बक्सर	57.71
				अरुणाचल प्रदेश	पापम पारे	6.85	अरुणाचल प्रदेश	पापम पारे	0.87
पीने के पानी और स्वच्छता	हिमाचल प्रदेश	शिमला	557	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.92	हिमाचल प्रदेश	शिमला	26.51
		कुल्लू	159		किन्नौर	0		किन्नौर	4.67
		किन्नौर	27		लाहौल स्पीति	0		लाहौल स्पीति	0.5
		हमीरपुर	2		कुल्लू	12.24		कुल्लू	11.06
		कांगड़ा	28		मंडी	0.45		मंडी	1.04
		लाहौल स्पीति	169		हमीरपुर	1.3		हमीरपुर	1.98
		सिरमौर	48		कांगड़ा	1.35		कांगड़ा	0.93
	उत्तराखंड	उत्तरकाशी	222		सिरमौर	0		सिरमौर	0.69
		चमोली	24	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	0.97	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	13.96
	बिहार	बक्सर	43		चमोली	7.22		चमोली	0.1
		वैशाली	99				अरुणाचल प्रदेश	पापम पारे	2.24
		पटना	49				पंजाब	लुधियाना	10.05
		कैमपुर	31						
		सीतामढ़ी	60						
		भोजपुर	14						

		मोतिहारी	20						
	अरुणाचल प्रदेश	पपुमारे	89						
उद्यमिता विकास	हरियाणा	पलवल	5.95	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	7.77	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	7.77
	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	1.1		कुल्लू	2.07		किन्नौर	8.5
				हरियाणा	पलवल	2.7		शिमला	15.65
								कुल्लू	4.85
महिला सशक्तिकरण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	3	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.69	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.82
		किन्नौर	1		किन्नौर	1.15		किन्नौर	0.36
		कुल्लू	5.5		कुल्लू	7.41		कुल्लू	1.96
		मंडी	0.5		मंडी	0		मंडी	0.5
					कांगड़ा	0.84		हमीरपुर	7.46
				उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	3.67	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	2.7
					चमोली	2.86		चमोली	1.6
							बिहार	बक्सर	0.53
पर्यावरण संरक्षण	हिमाचल प्रदेश	शिमला	25	हिमाचल प्रदेश	शिमला	4.08	हिमाचल प्रदेश	शिमला	170.7
					कुल्लू	1.41		कुल्लू	155.52
					किन्नौर	1.4		किन्नौर	41.17
					मंडी	1.4		मंडी	358.76
					हमीरपुर	5.41		हमीरपुर	1.48
					कांगड़ा	1.4		कांगड़ा	41.17
					लाहौल स्पीति	1.4		लाहौल स्पीति	40.98
					ऊना	1.4		ऊना	1.48
					बिलासपुर	1.4		बिलासपुर	1.48
					सिरमौर	1.4		सिरमौर	41.17
					एक प्रकार का हंस	1.4		एक प्रकार का हंस	41.17
					चंबा	1.4		चंबा	41.17
				उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	17.88	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	6.32
					चमोली	0.71		चमोली	5.91
					देहरादून	34.76		देहरादून	14.9
				अरुणाचल प्रदेश	पपुमारे	0.01			
				उत्तर प्रदेश	लखनऊ	5.22			
					देवरिया	5.22			
					शाहजहांपुर	5.22			
खेल, कला, संस्कृति, विरासत	हिमाचल प्रदेश	शिमला	11	हिमाचल प्रदेश	शिमला	14.35	हिमाचल प्रदेश	शिमला	325.6
		किन्नौर	4		किन्नौर	4.1		किन्नौर	3
		कुल्लू	0		मंडी	0.5		मंडी	0.2
		हमीरपुर	2		कुल्लू	8.75		कुल्लू	13
		कांगड़ा	1		हमीरपुर	2.75		हमीरपुर	1.49
					कांगड़ा	4		कांगड़ा	2
					लाहौल स्पीति	1		एक प्रकार का हंस	3
								बिलासपुर	1
				उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	1	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	5.75
					चमोली	0.26		चमोली	1.07
				बिहार	बक्सर	0.65	बिहार	बक्सर	6.7
				अरुणाचल प्रदेश	पापम पारे	0.5			
ग्रामीण विकास	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	1	हिमाचल प्रदेश	शिमला	321.53	हिमाचल प्रदेश	शिमला	53.88
					कुल्लू	12.25		कुल्लू	40.94
स्थानीय क्षेत्र विकास	हिमाचल प्रदेश	शिमला	88.96	हिमाचल प्रदेश	शिमला	115.02	हिमाचल प्रदेश	शिमला	31.76
बुनियादी ढांचे का विकास	हिमाचल प्रदेश	शिमला	274.04	हिमाचल प्रदेश	शिमला	491.05	हिमाचल प्रदेश	शिमला	534.48
		कुल्लू	117		कुल्लू	153.06		कुल्लू	279.65
		किन्नौर	28		मंडी	18.53		मंडी	56.24
		हमीरपुर	5		कांगड़ा	5.71		कांगड़ा	7.67
					किन्नौर	33.98		किन्नौर	120.72
					हमीरपुर	44.8		हमीरपुर	25.25
	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	14	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	26.05	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	40.72
		चमोली	13		चमोली	51.23		चमोली	35.31
				अरुणाचल प्रदेश	पापम पारे	46.03	अरुणाचल प्रदेश	पापम पारे	6.72
				महाराष्ट्र	अहमदनगर	0.09	महाराष्ट्र	अहमदनगर	0.76
							बिहार	बक्सर	86.83

पोसोको के सीएसआर क्रियाकलाप

सीएसआर क्रियाकलापों की श्रेणी	2015-16			2016-17			2017-18		
	राज्य	**जिला**	**राशि**	**राज्य**	**जिला**	**राशि**	**राज्य**	**जिला**	**राशि**
शिक्षा और कौशल विकास का संवर्धन	पैन इंडिया		32.86	पैन इंडिया		**31.02**	**पैन इंडिया**		29.29
				दिल्ली	दिल्ली	**38**	दिल्ली	दिल्ली	10.8
							महाराष्ट्र	रायगढ़	33.58
पीने के पानी और स्वच्छता	मेघालय	पूर्व खासी हिल्स	60	दिल्ली	दिल्ली	**1.62**	दिल्ली	दिल्ली	53.87
				पैन इंडिया		**31.73**	-		
पर्यावरण संरक्षण	दिल्ली#	दिल्ली	48.27	दिल्ली	दिल्ली	**40**			
	मेघालय	रि-भोई	49	देश के विभिन्न भाग जहां से होकर गंगा बहती है		19			

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-554

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

554. श्री सुशील कुमार सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत राजसहायता के संवितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली शुरू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई प्रायोगिक अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी नीति के मुख्य निष्कर्ष और लाभ क्या हैं; और

(ग) कृषि क्षेत्र के मामलों में वास्तविक राजसहायता का आकलन करने का तंत्र क्या है जहां लाभार्थियों का प्रायः पता नहीं चलता और राजसहायता अनुमानित खपत मानकों के आधार पर दी जाती है जिसे प्रायः कम आंका जाता है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : राज्य सरकारें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा उपयुक्त मानी गई सीमा तक कृषि क्षेत्र सहित उपभोक्ताओं के किसी भी वर्ग को सब्सिडी दे सकती हैं। 28 जनवरी, 2016 को अधिसूचित टैरिफ नीति के खंड 8.3 में भी उल्लेख है कि 'प्रत्यक्ष सब्सिडी, सभी को टैरिफ में क्रॉस सब्सिडी के तंत्र की अपेक्षा उपभोक्ताओं की गरीब श्रेणियों को सहायता देने के लिए बेहतर तरीका है'। इसके अलावा, 30 मई, 2018 को पक्षकारों की टिप्पणियों हेतु परिचालित टैरिफ नीति के प्रारूप संशोधनों में प्रस्ताव है कि यदि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी को सब्सिडी देने का निर्णय लेती है, तो सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तंत्र के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को दी जाएगी।

(ख) और (ग) : चूंकि सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जानी है, इसलिए प्रायोगिक अध्ययन उनके द्वारा किए जाए। पंजाब राज्य सरकार ने अपने कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीई) के लिए एक प्रायोगिक परियोजना 14 जून, 2018 को अधिसूचित की है। प्रायोगिक स्कीम में, कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त नियत विद्युत हकदारी (केडब्ल्यूएच) दी गई है और नियत हकदारी से कम मापी गई किसी भी खपत की प्रतिपूर्ति उपभोक्ता के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 4 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से की जाएगी। यह प्रायोगिक स्कीम स्वैच्छिक स्वरूप की है और अभी भी कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में है। इस स्कीम से भू-जल संरक्षण होता है और इसके परिणामस्वरूप फसल विविधता, सटीक ऊर्जा लेखांकन, सटीक पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) हानियां, व्यर्थ ऊर्जा उपभोग नियंत्रित होता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-557

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

गैस-आधारित राजसहायता वापस लेना

557. श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को प्रदान की जा रही राजसहायता विस्तार योजना को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्युत उत्पादक संघ वैकल्पिक प्रबंध करने हेतु समर्थ बनाने के लिए अल्पावधि समाधान के रूप में केवल दो वर्षों के लिए इस योजना के विस्तार का अनुरोध कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की ऐसे अनुरोध पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : देश में गैस आधारित क्षमता को पुनर्जीवित करने और उपयोग में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए एक योजना स्वीकृत की है। योजना में रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित और गैस आधारित स्ट्रेंडेड संयंत्रों, घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों को आयातित स्पॉट आरएलएनजी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। योजना में सभी पणधारकों द्वारा सामूहिक रूप से परित्याग करना और पीएसडीएफ से सहायता की परिकल्पना भी की गई है। योजना दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो गई है।

(ग) और (घ) : जी हाँ। उपर्युक्त योजना को पुन: शुरू करने के लिए विद्युत उत्पादकों के संघ से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं और वे विचाराधीन हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-568

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

संकटग्रस्त विद्युत संयंत्र हेतु अधिकार प्राप्त समिति

568. श्री धर्मेन्द्र यादवः
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः
श्री एस. राजेन्द्रनः
श्री एस. आर. विजयकुमारः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
कुँवर हरिवंश सिंहः
श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री टी. राधाकृष्णनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता मे गठित अधिकार प्राप्त समिति ने उन्नत कोयला उपलब्धता में सुधार कर संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए नीतिगत उपाय सुझाए हैं और यदि हां, तो उपरोक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ सिफारिशें लघु अवधि संविदा हेतु कोयला लिंकेज या बकाया भुगतानों के निपटान हेतु बिल में छूट तंत्र की अनुमति देने के पक्ष में है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों/सुझाव के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उपरोक्त समिति ने विद्युत संयंत्रों हेतु कोयला के स्थान की नीलामी का 60 प्रतिशत विद्युत संयंत्रों के लिए आरक्षित करने के लिए पीपीए होल्डरों को बिना नीलामी के क्रमिक वृद्धि युक्त कोयले की पेशकश के लिए कोयला आवंटन की नीति में परिवर्तन और दक्ष संयंत्रों को और अधिक कोयला देने का सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क), (ख) और (घ) : जी, हाँ।

उच्च स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति (एचएलईसी) ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

1. कोयला आवंटन/आपूर्ति हेतु सिफारिशें:

1.1 लघु अवधि पीपीए के लिए कोयला लिंकेज: लघु अवधि पीपीए के लिए उपयोग किए जाने हेतु लिंकेज कोयले की अनुमति दी जा सकती है तथा विद्युत की बिक्री पारदर्शी बोली प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट एनर्जी प्राइस (दीप) तैयार करके की जानी चाहिए।

1.2 डिस्कॉमों द्वारा भुगतान त्रुटि के कारण पीपीए की समाप्ति के मामले में कोयले की आपूर्ति: उत्पादनकर्ता को डिस्कॉमों द्वारा भुगतान में त्रुटि होने की स्थिति में अधिकतम दो वर्ष तक अथवा जब तक उन्हें दीर्घ/मध्यमकालीन पीपीए के अंतर्गत विद्युत का कोई अन्य क्रेता नहीं मिल जाता, इनमें से जो भी पहले हो, लिंकेज कोयले का उपयोग करने की सुगमता सहित पीपीए समाप्त करने में सक्षम होना चाहिए।

1.3 पूर्व घोषित लिंकेज के लिए नोडल एजेंसी द्वारा थोक विद्युत का प्रापण: नोडल एजेंसी नामांकित की जा सकती है जो कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा पूर्व घोषित लिंकेज के लिए उपयुक्त वित्त भागों में उसे 5 वर्ष की मध्यावधि के लिए थोक विद्युत के प्रापण के लिए बोलियां आमंत्रित करें।

1.4 पीएसयू द्वारा विद्युत समूहक के रूप में कार्य करना: एनटीपीसी ऐसे संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों से पारदर्शी प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत समूहक अर्थात् विद्युत प्रापक के रूप में कार्य कर सकता है तथा उस विद्युत को उस समय तक एनटीपीसी के पीपीए के लिए डिस्कॉमों को दे सकता है जब तक एनटीपीसी के स्वयं के संयंत्र/यूनिटें चालू की जाएं।

1.5 विद्युत क्षेत्र के लिए विशेष अगली ई-नीलामी के लिए कोयले की मात्रा में वृद्धि: कोयला मंत्रालय ई-नीलामी कोयले की न्यूनतम 60 प्रतिशत मात्रा विद्युत के लिए अलग रख सकता है तथा यह मात्रा विद्युत क्षेत्र की नियमित कोयला आवश्यकता के अतिरिक्त होगी।

1.6 बोली के बिना अधिसूचित मूल्यों पर लिंकेज उपलब्ध कराया जाना: उत्पादकर्ता को पीपीए के प्रापण के लिए मात्र एक बार बोली लगानी आवश्यक होता है तथा लिंकेज की अनुमति बढ़ाते हुए कोयला उत्पादन वृद्धि की सीमा तक किसी आगामी बोली के बिना अधिसूचित मूल्य पर दी जानी चाहिए।

1.7 कोयले की कम आपूर्तियां न होना: यदि कोयले की आपूर्ति में कोई कमी आती है तथा इसका आरोप कोयला मंत्रालय अथवा रेल मंत्रालय पर है तो ऐसी गिरावट को अनदेखा नहीं किया जा सकता है तथा अधिकतम तीन महीनों तक बाद के महीनों में पूरा किया जाना होता है।

1.8 दक्षता आधार पर एसीक्यू निर्धारित किया जाना: एसीक्यू/मेगावाट के लिए ऊपरी सीमा दक्षता मानदंडों तथा उस संयत्र की क्षमता एवं वास्तविक खपत को ध्यान में रखे बिना सीईए द्वारा निर्धारित की जा सकती है और इस आधार पर कोयले की आपूर्ति की जा सकती है।

2. संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों की विद्युत की बिक्री को सुगम बनाने हेतु सिफारिशें:

2.1 **पुराने तथा अदक्ष संयंत्रों को बंद करना:** नए पर्यावरण मानकों के अनुसार न करने वाले पुराने तथा उच्च ताप दर वाले संयंत्रों को किसी मांग/आपूर्ति असमानता से बचते हुए उसी समय चरणबद्ध तथा समयबद्ध तरीके से बंद करने पर विचार किया जा सकता है।

3. विनियामक एवं डिस्कॉम भुगतान मामले संबंधी सिफारिशें:

3.1 **विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) का अनिवार्य भुगतान:** डिस्कॉम द्वारा भुगतान में विलंब की स्थिति में अनिवार्य रूप से विलंब भुगतान अधिभार अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

3.2 **आईपीपी के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र'** पीएफआई द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बिल डिस्काउंटिंग सुविधा को भी टीपीए अर्थात् डिस्कॉम द्वारा त्रुटि की स्थिति में, कवर किया जा सकता है, आरबीआई राज्यों के खाते से बकाया राशि की वसूली कर सकता है तथा पीएफआई को भुगतान कर सकता है।

4. अन्य सिफारिशें:

4.1 **एनसीएलटी परिदृश्य के बाद पीपीए/एफएसए/एलटीओए रद्द करना:** विद्युत के पारेषण के लिए पीपीए, एफएसए एवं एलटीओए, ईसी/एफसी स्वीकृतियों, तथा जल सहित अन्य अनुमोदनों को जारी रखा जाना होता है तथा संबंधित एजेंसियों द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता भले ही परियोजना एनसीएलटी को सौंपी गई हो अथवा किसी अन्य निकाय द्वारा प्राप्त की गई हो। ये सभी कार्य प्रवर्तक के बजाय संयंत्र से लिंक किए जाएं।

4.2 **सीओडी का अनुपालन न होने की स्थिति में पीपीए का निरस्तीकरण:** यदि परियोजना के चालू होने में कोई विलंब होता है तो डिस्कॉम को उत्पादनकर्ता के साथ हस्ताक्षरित पीपीए को निरस्त न करने की सलाह दी जाती है तथा इसे कुछ समय तक रोककर रखा जाना चाहिए।

4.3 **प्राकृतिक गैस की कमी के कारण गैस संयंत्र क्षमता का कम उपयोग:** गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का पुनरुद्धार करने के लिए विद्युत मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पूर्ववर्ती ई-नीलामी आरएलएनजी योजना (पीएसडीएफ से सहायताप्राप्त) के अनुरूप संयुक्त रूप से योजना तैयार कर सकते हैं।

(ग) और (ङ) : सरकार द्वारा सभी सदस्यों को रिपोर्ट परिचालित कर दी गई है। इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-579

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों की पर्यावरणीय रेटिंग

579. श्री जगदम्बिका पालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों की पर्यावरणीय रेटिंग पर कराए गए अध्ययन का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय ताप विद्युत संयंत्र देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे ताप विद्युत संयंत्रों के संबंध में (i), (ii), (iii), (iv) और (v) का ब्यौरा क्या है;

(i) संयंत्रों की औसत कुशलता
(ii) औसत CO2 (कार्बन डाइऑक्साइड) उत्सर्जन
(iii) औसत जल खपत
(iv) वायु में उत्सर्जित किए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर का स्तर
(v) उत्पन्न ठोस अपशिष्ट (राख) के उत्सर्जन का स्तर?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने अपनी रिपोर्ट "कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की ग्रीन रेटिंग" में अन्य बातों के साथ-साथ कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

(i) सुपर क्रिटिकल/अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल (एससी/यूएससी) संयंत्रों का त्वरित संस्थापन।

(ii) पुराने और अदक्ष संयंत्रों को बंद करना।

(iii) सख्त वायु प्रदूषण मानदंडों की शुरुआत करना।

(iv) कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में जल और भूमि का इष्टतम उपयोग।

(ख) : देश में ताप विद्युत संयंत्रों की कार्य कुशलता भारत में कोयले की घटिया गुणवत्ता और उच्चतर व्यापक वायु तापमान और उच्चतर कूलिंग वाटर तापमान के कारण अन्य देशों की तुलना में निम्न होती है। कोयले की अधिक खपत के परिणामस्वरूप देश में ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन डायऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन भारत में कोयले की घटिया गुणवत्ता और उच्चतर व्यापक वायु तापमान और उच्चतर कूलिंग वाटर तापमान के कारण वैश्विक मानदंडों की तुलना में अधिक होता है जिसके फलस्वरूप कोयले की खपत अधिक होती है।

(ग) : वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एनटीपीसी द्वारा चलाए जा रहे कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**मानदंड**	**कोयला स्टेशन**
(i)	संयंत्रों की औसत कार्यकुशलता	35.9%
(ii)	औसत कार्बन डायऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन	0.971 tCO_2/एमडब्ल्यूएच
(iii)	औसत जल खपत	3.098 लीटर/केडब्ल्यूएच
(iv)	वायु में छोड़ी गई पार्टिकुलेट मैटर (pm) का स्तर	0.27 ग्राम/केडबल्यूएच
(v)	उत्पादित ठोस कचरा (राख) की उपयोगिता का स्तर	53.45%

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-580

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

अव्यावहारिक विद्युत संयंत्र

580. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजराः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कई ताप विद्युत संयंत्र अव्यावहारिक हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयंत्रों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) इन विद्युत संयंत्रों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए आवश्यक अनुमानित राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त संयंत्रों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : जी, हाँ।

(ख) : वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 34 संकटग्रस्त ताप विद्युत संयंत्रों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) : इस संबंध में इस मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) : भारत सरकार ने संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

I. शक्ति के अंतर्गत ईंधन लिंकेज: सरकार ने 17 मई, 2018 को शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेन्टली इन इंडिया) नामक नई कोयला लिंकेज आबंटन नीति अनुमोदित की है। इस स्कीम के

अंतर्गत 12 सितंबर, 2017 को घरेलू कोयले पर आधारित पीपीए वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी की। जिन आईपीपी के पास पीपीए है, परंतु कोयला लिंकेज नहीं है, ने नीलामी में भाग लिया है और कुल 8,490 मेगावाट क्षमता की 5 संकटग्रस्त परियोजनाओं सहित 11,549 मेगावाट क्षमता (10 परियोजनाएं) के लिए लिंकेज मंजूर किए गए हैं और इन परियोजनाओं का समाधान कर दिया गया है। शक्ति स्कीम के प्रावधान ख(i) के तहत, 10 परियोजनाओं के लिए 8,870 मेगावाट के लिए राज्यों/केंद्रीय उत्पादन कंपनियों को लिंकेज मंजूर किए गए हैं।

II. **2500 मेगावाट विद्युत के प्रापण के लिए प्रायोगिक परियोजना;** देश में विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के अभाव की समस्या का समाधान करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने मुक्त क्षमतावाली चालू परियोजनाओं वाले उत्पादकों से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर 2500 मेगावाट विद्युत प्रापण की एक स्कीम अधिसूचित की है। इस स्कीम के तहत, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 2500 मेगावाट विद्युत के लिए बोलियां आमंत्रित की जिसमें पीटीसी इंडिया लिमिटेड ने विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु समूहक के रूप में कार्य करेगा और इस विद्युत को राज्य यूटिलिटियों को बेचेगा। कुल 1900 मेगावाट विद्युत के लिए सात परियोजनाओं से निविदाएं प्राप्त हुई। सभी सफल बोली लगाने वालों (1900 मेगावाट) को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी कर दिए गए हैं।

III. **डिस्कॉम भुगतान निगरानी एवं प्राप्तिः** डिस्कॉमों द्वारा भुगतान प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक नया एप प्राप्ति (विद्युत उत्पादकों के इनवॉयसिंग में पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत प्रापण में भुगतान अनुसमर्थन एवं विश्लेषण) शुरू किया गया है। विद्युत उत्पादकों को पोर्टल में उनके इनवॉयसिंग एवं भुगतान के आंकड़े फीड करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

IV. **विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए किए गए उपायः**

क. **केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) द्वारा तीसरे पक्ष द्वारा नमूना लेने की शुरुआत:** सरकार ने विद्युत उत्पादकों को सीआईएल से कोयला आपूर्ति के लदान एवं उतराई दोनों स्थानों पर तीसरे पक्ष द्वारा कोयला के नमूने लेना शुरू किया है।

ख. **कोयला लिंकेज का औचित्यीकरण:**

- विद्युत मंत्रालय ने विद्युत उत्पादन की लागत में कमी लाने के लिए केंद्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में छूट देने संबंधी नीति दिनांक 10 जून, 2016 के पत्र संख्या 5/3/2015-ओएम के माध्यम से जारी की है।
- विद्युत मंत्रालय ने निजी विद्युत उत्पादन स्टेशनों में राज्यों द्वारा कोयले के उपयोग के लिए कार्यविधि दिनांक 20 फरवरी, 2017 के पत्र संख्या 5/3/2015-ओएम के माध्यम से जारी की है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 13.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 580 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

संकटग्रस्त परियोजनाओं की स्थिति*

क्रम सं.	विकासकर्ता/परियोजना	कुल क्षमता (मेगावाट)	चालू की गई (मेगावाट)	मुख्य एफआई/ बैंक	अनुमानित परियोजना लागत (करोड़)	ओ/एस ऋण (करोड़)	दी गई इक्विटी (करोड़)	कुल निवेश (करोड़)
1	डीवीसी/रघुनाथपुर	1200	1200	पीएफसी	7957	2318	2626	4944
2	एनटीपीसी/मुजफ्फरपुर (एनटीपीसी और बिहार सरकार का जेवी)	390	390	एसबीआई	4777	2506	1277	3783
3	जीएमआर/कमलंगा	1050	1050	आईडीएफसी	6519	4100	2250	6350
4	अदानी/टिरोडा	3300	3300	एसबीआई	19788	11765	4947	16712
5	जीवीके/गोइंदवाल साहिब	540	540	आईडीबीआई	4773	3523	1250	4773
6	आधुनिक पावर आधुनिक	540	540	एसबीआई	3377	2474	903	3377
7	जीएमआर/एमको वरौरा	600	600	एसबीआई	4250	2905	1063	3968
8	डीबी पावर/बाराधरा	1200	1200	एसबीआई	8965	6721	2244	8965
9	अवंथा/सिओनी झबुआ	600	600	ऐक्सिस	4806	3488	1348	4836
10	कोस्टल एनर्जेन/मुतियारा	1200	1200	एसबीआई	7870	6132	1262	7394
11	एस्सार/महान	1200	600	आईसीआईसीआई	7173	5951	2266	8217
12	जीएमआर/राईखेड़ा	1370	1370	ऐक्सिस	11543	8174	3368	11542
13	जेपी/निगरी	1320	1320	आईसीआईसीआई	12350	6211	3812	10023
14	जेपी/बीना	500	500	आईडीबीआई	3518	2254	1264	3518
15	जेआईटीपीएल/देरांग	1200	1200	पीएनबी	7061	5381	1494	6875
16	केएसके महानदी-अकलतारा यूनिट	3600	1200	पीएफसी	27080	17194	3234	20428
17	जेपी/बारा (प्रयागराज)	1980	1980	एसबीआई	15537	11494	4044	15538
18	आरकेएम/उचपिंडा	1440	1080	पीएफसी	12608	9145	2587	11732
19	एसकेएस/बिंजकोट	1200	300	एसबीआई	5880	4801	862	5663
20	एस्सार/टोरी	1200		आईसीआईसीआई	10441	3112	1719	4831
21	लैंको/बाबंध यू-1 व 2	1320	0	आईसीआईसीआई	10430	6976	1123	8099
22	मोनेट/मलीब्राहमणी (रुकी लेकिन अच्छी प्रगति)	1050	0	आईडीएफसी	9500	5300	1273	6573
23	अथेना (ईस्ट लागत)/ भवानापडु	1320	0	पीएफसी	9975	2834	836	3670
24	केवीके/नीलांचल	1050	0	पीएफसी	2992	1072	1116	2188
25	लैंको/विदर्भ	1320	0	पीएनबी	10433	4762	1079	5841
26	वीसा/देवेरी	1200	0	पीएनबी	6190	1481	427	1908
27	लैंको/अनपरा 'सी'	1200	1200	आरईसी	4845	3071	969	4040
28	लैंको/अमरकंटक	1320	0	पीएफसी	12865	8782	1533	10315
29	इंड बराथ उत्कल	700	350	पीएफसी	4797	3046	1172	4218
30	अवंथा/कोरबा वेस्ट	600	600	ऐक्सिस	4929	3099	1830	4929
31	मधुकोन/सिम्हापुरी	600	600	एसबीआई	3510	2206	1035	3241
32	एथेना/सिंहतराई यू-1 व 2	1200		एसबीआई	11522	5256	968	6224
33	वंदना/सलोरा	270	135	पीएनबी	1949	1489	541	2030
34	रत्न पावर/नासिक-I	1350	1350	पीएफसी	9818	7107	2455	9562
	सकल जोड़	40,130	24,405		2,90,028	1,76,130	60,177	2,36,307

* उपर्युक्त सूचना विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई है और डिस्कॉमों, ऋणदाता, सीईआरसी इत्यादि से सत्यापित है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-598

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों के लिए बायोमास पैलेट

598. श्री राजेश कुमार दिवाकरः

श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः

श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास पैलेटों (पराली) के उपयोग की योजना बना नही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जहां बायोमास पैलेट (पराली) कोयले के साथ उपयोग किए जाने हैं;

(ख) क्या विद्युत उत्पादन के लिए कोयले के साथ बायोमास पैलेट (पराली) का उपयोग महंगा होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कोयले के साथ पराली के उपयोग द्वारा विद्युत की लागत घटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है कि देश में उपलब्ध बायोमास पैलेट के द्वारा विद्युत का कितना अतिरिक्त उत्पादन किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने कोयले के साथ कृषि अवशेष आधारित पैलेटों का 5-10% प्रयोग करने के लिए कोयला आधारित सभी विद्युत संयंत्रों को 17 नवंबर, 2017 को परामर्शी जारी की है। सीईए ने पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों के लिए तकनीकी विनिर्दिष्टि भी जारी की है। उपरोक्त परामर्शी के अनुरूप एनटीपीसी ने एनटीपीसी दादरी के लिए 1000 मीट्रिक टन प्रतिदिन (एमटीपीडी) कृषि अवशेष आधारित पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों के प्रापण के लिए निविदा जारी की है। 1000 एमटीपीडी की कुल आवश्यकता में से 2 वर्षों की आपूर्ति अवधि के साथ 3 कंपनियों को 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन कृषि अवशेष आधारित पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों के लिए क्रय आदेश दे दिया है।

एनटीपीसी के अनुसार इसके विद्युत संयंत्रों में फार्म ठूंठों के प्रयोग से विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी। विद्युत के परिवर्तनीय प्रभार में वृद्धि बायोमास और कोयले की कीमतों में अंतर, हीट दर में वृद्धि, आनुषंगिक विद्युत खपत में वृद्धि पर निर्भर करेगी। निर्धारित प्रभारों में वृद्धि बायोमास सामग्री संभाल अवसंरचना के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अनुसार निर्भर करेगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुमान के अनुसार कोयला प्रज्ज्वलित विद्युत संयंत्र में कोयले के साथ 1000 टीपीडी (टन प्रतिदिन) बायोमास पैलेटों को जलाने पर दैनिक आधार पर 65 मेगावाट विद्युत अथवा 1.56 एमयू विद्युत का उत्पादन करने की क्षमता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-626

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत संकट

626. श्री सी.एन. जयदेवनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कोई ऊर्जा संकट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत उत्पादक हजारों मेगावाट अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और दिवालियापन कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, उपभोक्ता बिजली कटौती और लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत उत्पादकों के समक्ष आ रही मुख्य समस्याओं का ब्यौरा क्या है और समस्याओं के समाधान हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) विद्युत उत्पादकों के समक्ष आ रही कुछ समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : वर्तमान में देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को दी गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा की मांग और व्यस्ततम मांग अधिकांशतः पूरी की गई है।

(ख) से (घ) : सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार 34 संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है। सरकार ने विद्युत क्षेत्र में संकट के प्रमुख कारण अभिचिन्हित किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

(i) कोयला आपूर्ति से संबंधित मुद्दे

(ii) डिस्कॉमों द्वारा विलंबित भुगतान
(iii) इक्विटी और सर्विस ऋण देने के लिए प्रवर्तकों की अक्षमता
(iv) विकासकर्ता द्वारा परियोजना का मंद कार्यान्वयन
(v) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से संबंधित मुद्दे
(vi) प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत अधिक प्रशुल्क
(vii) विनियामक एवं संविदागत विवाद
(viii) कोयला खान नीलामी से संबंधित कानूनी मुद्दे
(ix) भूमि अधिग्रहण में विलंब, अपर्याप्त पारेषण प्रणाली आदि जैसे अन्य प्रचालनात्मक मुद्दे

भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र में संकट से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

I. शक्ति के अंतर्गत ईंधन लिंकेज: सरकार ने 17 मई, 2018 को शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेन्टली इन इंडिया) नामक नई कोयला लिंकेज आबंटन नीति अनुमोदित की है। जिन आईपीपी के पास पीपीए है, परंतु कोयला लिंकेज नहीं है, ने नीलामी में भाग लिया है और कुल 8,490 मेगावाट क्षमता की 5 संकटग्रस्त परियोजनाओं सहित 11,549 मेगावाट क्षमता (10 परियोजनाएं) के लिए लिंकेज मंजूर किए हैं।

II. **2500 मेगावाट विद्युत के खरीद के लिए प्रायोगिक परियोजनाः** विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के अभाव की समस्या का समाधान करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने मुक्त क्षमतावाली चालू परियोजनाओं वाले उत्पादकों से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर 2500 मेगावाट विद्युत खरीद की एक स्कीम अधिसूचित की है। इस स्कीम के तहत, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 2500 मेगावाट विद्युत के लिए बोलियां आमंत्रित की जिसमें पीटीसी इंडिया लिमिटेड ने विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु समूहक के रूप में कार्य करेगा और इस विद्युत को राज्य यूटिलिटियों को बेचेगा। कुल 1900 मेगावाट विद्युत के लिए सात परियोजनाओं से निविदाएं प्राप्त हुई। सभी सफल बोली लगाने वालों (1900 मेगावाट) को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी कर दिए गए हैं। यह विद्युत परियोजनाओं की वित्तीय क्षमता में काफी सुधार करेगा और ऋण अदायगी में विकासकर्ताओं की सहायता करेगा।

III. **कोयला मूल्यवृद्धि सूचकांक का औचित्यीकरण;** औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा प्रकाशित कोयला मूल्यवृद्धि सूचकांक में विसंगतियों के कारण उत्पाद कम वसूली का सामना कर रहे थे। अब सीईआरसी ने इन विसंगतियों को दूर करने और गैर-कोकिंग कोयला (जी7-जी14) के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की नई श्रृंखला अंगीकृत करने के लिए वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत प्रापण की बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ निर्धारण के लिए दिशा-निर्देशों में दिनांक 01 जून, 2018 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया है। सीईआरसी की नई अधिसूचना के आधार पर 01 अप्रैल, 2017 से उत्पादक गैर-कोकिंग कोयला (जी7-जी14) के थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला के आधार पर परिकलित संशोधित टैरिफ के पात्र होंगे। इससे मुख्य रूप से विद्युत उत्पादकों की देयताओं की कम वसूली के मुद्दों को हल किया जाएगा।

IV. **नए पर्यावरण मानकों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागत प्रभाव;** विद्युत मंत्रालय ने 30 मई,2018 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 107 के तहत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) को यह स्पष्ट करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए कि बोली की स्वीकृति अथवा पीपीए पर हस्ताक्षर के बाद, जैसा भी मामला हो, नए पर्यावरण मानकों को पूरा करने के लिए विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना अथवा उन्नयन

करने के कारण अतिरिक्त लागत प्रभाव और इनकी प्रचालन लागत को टैरिफ में पास-थ्रू बनाने पर विचार किया जाएगा।

V. **सरकार द्वारा लगाए गए घरेलू शुल्क, लेवी, उपकर और करों में किसी भी बदलाव के पास-थ्रू की अनुमतिः** टैरिफ नीति, 2006 में प्रावधान है कि बोली की स्वीकृति के बाद केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लगाए गए घरेलू शुल्क, लेवी, उपकर और करों में किसी भी बदलाव को, जिसके परिणामस्वरूप लागत में समरूपी बदलाव हो, पीपीए के उपबंधों एवं उपयुक्त आयोग के अनुमोदन के अधीन कानून में संशोधन माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने याचिका दायर करने के 30 दिनों के भीतर कानून में ऐसे बदलाव के प्रति यूनिट प्रभाव के समयबद्ध निर्धारण के लिए सीईआरसी को दिनांक 27 अगस्त, 2018 के पत्र के माध्यम से जारी किए हैं।

VI. **डिस्कॉम भुगतान निगरानी एवं प्राप्तिः** डिस्कॉमों द्वारा भुगतान प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक नया एप प्राप्ति (विद्युत उत्पादकों के इनवॉयसिंग में पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत प्रापण में भुगतान अनुसमर्थन एवं विश्लेषण) शुरू किया गया है।

****

<u>अनुबंध</u>

लोक सभा में दिनांक 13.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 626 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

******

विद्युत आपूर्ति स्थिति

वर्ष	**ऊर्जा मांग (एमयू)**	**आपूर्तित ऊर्जा (एमयू)**	**आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (%)**	**व्यस्ततम मांग (मेगावाट)**	**पूरी की गई व्यस्ततम मांग (मेगावाट)**	**पूरी नहीं की गई मांग (%)**
अप्रैल, 2018 - नवंबर, 2018	870,809	865,476	0.6	177,022	175,528	0.8

******

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-658

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में स्वच्छ ऊर्जा

658. श्री के. परसुरमनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विशेष रूप से फ्रीक्वेंसी से जुड़ी शास्ति और केंद्रीय उत्पादन से ऊर्जा हेतु क्षतिपूर्ति प्रभारों पर से अवरोध हटाने का कोई नया प्रस्ताव है क्योंकि तमिलनाडु ने स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) छह विधान सभा क्षेत्रों अर्थात् तंजावुर, ओराथननाडु, पट्टुक्कोटाई, पेरावुरानी, तिरुवैयारू और मन्नार गुडी से संबंधित गरीब हितैषी सौभाग्य उजाला स्कीम (एल.ई.डी. लाइट्स) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या क्या है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : केंद्रीय आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की परिवर्तनीयता के कारण नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) संपन्न राज्यों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 200 मेगावाट (1000 से 3000 मेगावाट की सोलर और पवन की संस्थापित क्षमता वाले राज्यों के लिए) और 250 मेगावाट (3000 मेगावाट से अधिक की सोलर और पवन की संस्थापित क्षमता वाले राज्यों के लिए) विचलन सीमा में छूट दी गयी है।

इसके अतिरिक्त, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की परिवर्तनीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के एकीकरण को सुकर बनाने के लिए, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने अस्थिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों(पवन और सौर) के लिए पूर्वानुमान अनुसूची और असंतुलन हैंडलिंग संबंधी फ्रेमवर्क अधिसूचित किया है।

(ख) और (ग) : उजाला स्कीम के अंतर्गत, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने तमिलनाडु राज्य के तन्जावुर, पट्टुकोटई, थिरूवैयारू और मनारगुडी विधानसभा क्षेत्र में 2152 लाभार्थियों को कुल 17849 एलईडी बल्ब वितरित हैं। ग्राम स्वराज अभियान (जीएसए) अवधि के दौरान ये एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं।

लाभार्थियों की संख्या सहित वितरित एलईडी बल्बों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 13.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 658 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

लाभार्थियों सहित वितरित एलईडी बल्बों की संख्या

क्रम सं.	**तमिलनाडु राज्य के विधानसभा क्षेत्र का नाम**	**उजाला स्कीम के तहत वितरित एलईडी बल्बों की सं.**	**लाभार्थियों की सं.**
1	थंजावुर	4387	622
2	ओराथनाडु	-	-
3	पट्टुकोट्टई	1101	119
4	पेरावुरानी	-	-
5	थिरूवैयारू	3237	492
6	मन्नारगुडी	9124	918
कुल		**17,849**	**2152**

डिस्कॉम द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीम में सौभाग्य स्कीम के तहत वितरित एलईडी बल्बों को शामिल नहीं किया गया है।

****